शुक्रवार,
७ नवंबर, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation

भाग १—प्रश्न और उत्तर

संसदीय वाद विवाद

(भाग १—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

शुक्रवार, ७ नवम्बर १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बृटेन के वाद विवाद में भाग लेने वाला दल

*८९. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय विश्वविद्यालयों का, वाद विवाद में भाग लेने वाला एक दल बृटेन भेजा गया था;

(ख) यदि हां तो उस दल के सदस्यों को कैसे चुना गया था ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) उन को, बिना तैयारी के वाद विवाद में बोलने की एक प्रतियोगिता, जिस में भारतीय विश्वविद्यालयों के नामोदिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया था, के आधार पर चुना गया था ।

सरदार हुक्म सिंह : कितने छात्रों को भेजा गया ?

श्री के० डी० मालवीय : तीन छात्रों को भेजा गया ।

सरदार हुक्म सिंह : कितने विश्वविद्यालयों ने इस प्रतियोगिता में अपने प्रतिनिधि भेजे ?

श्री के० डी० मालवीय : कुल ३१ विश्वविद्यालयों में से १६ ने अपने प्रतिनिधि भेजे परन्तु उन में से चार नहीं आ सके। इसलिए इस प्रतियोगिता में केवल १२ प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सरदार हुक्म सिंह : जिन छात्रों को चुना गया है, वे किन विश्वविद्यालयों के हैं ?

शिक्षा, तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : हैदराबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी के तीन स्टूडेंट सिलेक्ट किये गये थे।

सरदार हुक्म सिंह : बृटेन में उनका काम कैसा रहा ?

श्री के० डी० मालवीय : वे अभी तक वहीं हैं।

मौलाना आजाद : तीन महीने के लिए उनका प्रोग्राम बना है।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन छात्रों का खर्च कौन दे रहा है—भारत सरकार या विश्वविद्यालय ?

श्री के० डी० मालवीय : यह खर्च भारत सरकार दे रही है ।

श्री वीरस्वामी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस दल में अनुसूचित जाति का कोई छात्र है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरा विचार है कि नहीं ।

विदेशी व्यापार संस्थाओं का उत्सर्जन

*९०. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त, १९४७ के बाद विदेशों ने भारत में अपनी व्यापार-संस्थाएं बेची हैं ?

(ख) यदि हां, तो १५ अगस्त, १९४७ से १५ अगस्त, १९५२ तक ऐसे विक्रय से प्राप्त धन की कितनी राशि भारत से बाहर भेजी गई ?

(ग) १ जनवरी, १९५२ से १ अक्तूबर, १९५२ तक भारत में विदेशी विनियोगों का क्या मूल्य है ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) भारत में ६६ विदेशी व्यापार-संस्थाएं--६४ बृटेन की, १ आस्ट्रेलिया की तथा १ लंका की--१५ जुलाई, १९४७ से ३१ जुलाई १९५२, तक यहां के निवासियों को बेच दी गईं ।

(ख) इन संस्थाओं के क्रय से प्राप्त धन की कुल राशि जो उक्त काल में बाहर भेजी गई, १४६३ करोड़ रुपये थी ।

(ग) सरकार को इस काल में कुल विदेशी विनियोगों के मूल्य के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है परन्तु १ जनवरी, १९५२ से ३१ अगस्त, १९५२ तक विदेशों से भारत में विनियोग के लिए जो राशि प्राप्त हुई वह ३५ लाख रुपये के लगभग थी।

सरदार हुक्म सिंह : क्या १५ अगस्त, १९ के बाद विदेशी विनियोग की कुल पूंजी को ध्यान में रखा गया, चाहे वह व्यापार-संस्थाओं में हो चाहे वह सरकारी प्रतिभूतियों में ?

श्री बी० आर० भगत : मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि अलग अलग आंकड़े बताना कठिन है। रिज़र्व बैंक समय समय पर ऐसे विनियोगों की गणना करता है। ऐसी पिछली गणना १९४८ में की गई थी और उसमें ब्यौरेवार अलग अलग आंकड़े दिये गये थे । जैसा कि इस प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में कहा गया है, हमारे पास इस सम्बन्ध में ब्यौरेवार सूचना नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : ऐसी गणना फिर कब किये जाने की आशा है ?

श्री बी० आर० भगत : यह कहना कठिन है । यह स्पष्ट है कि थोड़े थोड़े समय बाद विनियोगों की गणना करना कठिन है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि हमारे देश से बाहर जाने वाली पूंजी पर कोई नियंत्रण है ?

श्री बी० आर० भगत : नियंत्रण तो रिजर्व बैंक द्वारा रखा जाता है और इस के कई ढंग हैं । भारत में बनाई गई कम्पनियों के हिस्से बाहर भेजने के लिए पहले से रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी पड़ती है। जहां तक मुख्य दफ्तर से, भारत में उस की शाखाओं को विनियोग स्थानान्तरित किये जाने का सम्बन्ध है, यह विभिन्न अधिकृत एजन्टों की मार्फत किया जाता है और रिज़र्व बैंक को इस सम्बन्ध में सूचना मिल जाती है ।

श्री के० के० बसु: क्या हम जान सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से क्रय किया गया था। हिस्से आंशिक रूप से हस्तान्तरित कर दिये गये ?

श्री बी० आर० भगत: कुछ संस्थाएं तो सीधी सीधी बेच ही दी गईं ।

श्री के० के० बसु: क्या वे बाजार में बेची गईं या चार बाजार के मूल्यों पर ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति ।

श्री ए० सी० गुहा: इनमें से कितनी एजेंसी फर्में हैं और कितनी वैसी ?

श्री बी० आर० भगत: उसके लिए मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

एक्स किरण

***९१. सरदार हुक्म सिंह:** (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री सी० वी० रमन द्वारा बंगलौर में रमन संस्था से सम्बद्ध एक्स किरण प्रयोगशाला में जो हाल ही में खोली गई है, एक्स किरणों के सम्बन्ध में कोई नई खोज की गई है ?

(ख) यदि हां, तो वह कौन सी खोज है और उसकी क्या सम्भावनाएं हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रो० सी० वी० रमन ने बताया है कि बंगलौर में भारत की विज्ञान अकादमी में हाल ही में किये गये अनुसंधानों के फलस्वरूप, स्फटिकों में एक नई एक्स किरण जिस के होने का किसी को पता ही न था, का प्रतिबिम्ब, एक्स किरण प्लेटों पर दिखाई पड़ा । इस सम्बन्ध में आग कार्य हो रहा है।

सरदार हुक्म सिंह: क्या यह केवल स्फटिकों की परीक्षा में ही लाभदायक है या इसके अन्य उपयोगों का भी पता लगाया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय: श्रीमान्, ये अनुसंधान, अभी किये जा रहे हैं और अभी इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

साम्यवादी (कम्यूनिस्ट)

***९२. पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय:** (क) क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि साम्यवादियों की स्पष्ट घोषणा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि साम्यवादियों के पास बंदूकों आदि की लगभग संख्या कितनी है ?

(ख) क्या यह सच है कि भारत के किसी भाग में साम्यवादियों ने अपने पास रखी हुई बंदूकों आदि की सूची सरकार को दी है ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) (क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में राज्यों की सरकारों से पूछताछ की गई थी परन्तु अभी उनमें से तीन के उत्तर नहीं आए हैं । अब तक जो उत्तर मिले हैं उन से पता चलता है कि अभी तक साम्यवादियों ने ऐसी कोई सूचियां नहीं दी हैं । मैं यह भी कह दूं कि ५ तारीख के "हिन्दू" के संस्करण में यह समाचार निकला है कि ११ बन्दूकें आदि और ६० गोलियां साम्यवादी दल के एक सदस्य ने जो हैदराबाद विधान सभा का सदस्य भी है, हैदराबाद जिले के सहायक सुपरिन्टन्डेंट को दी हैं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार उसे दिये गये हथियारों की संख्या कितनी है ?

श्री दातार: अभी ठीक ठीक संख्या बताना सम्भव नहीं है क्योंकि अभी सूचना मिली नहीं है। दूसरी बात यह है कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इस सदन में ठीक ठीक संख्या बताना जनहित में होगा या नहीं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार को पता है कि ऐसे हथियारों की संख्या लगभग कितनी है ?

श्री दातार: सरकार को लगभग संख्या का पता है।

श्री के० सुब्रह्मण्यम: क्या साम्य-वादियों से हथियार देने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन होगा।

श्री दातार: कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री बी० एस० मूर्ति: सरकार साम्यवादियों को अपने हथियार छोड़ने के लिये राजी करने के लिये क्या कर रही है ?

श्री दातार: सरकार कुछ नहीं कर सकती यह तो उनका काम है।

डा० जयसूर्य: पिछले सत्र में माननीय मंत्री ने कहा था कि कुल संख्या १४,००० के लगभग है। हैदराबाद के गृह मंत्री ने कहा था कि यह संख्या २,००० हैं। हैदराबाद के मुख्य मंत्री ने हाल ही में कहा था कि यह संख्या ६०० या ७०० है। ये आगणन किस आधार पर किये जाते हैं ?

श्री दातार: यह कहना सम्भव नहीं कि किस आधार पर आगणन किये जाते हैं। हम अभी अनुमान ही तो लगा रहे हैं।

डा० जयसूर्य: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अनुमान नहीं लगाने चाहिएं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने उन साम्यवादियों के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे किये हैं जिनके पास बंदूकें आदि हैं ?

श्री दातार: जी, नहीं।

श्री माधव रेड्डी: क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया है कि जो लोग अपनी बंदूकें आदि थानों में लाकर सौंप देंगे उन पर मुकदमा नहीं चलाया जायगा ?

गृह कार्य मंत्री (डा० काटजू): ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया और न ही दिया जायगा।

श्री ए० के० बसु: क्या यह सच है कि सारे वक्तव्य इस पूर्व धारणा के आधार पर दिये जाते हैं कि उनके पास बन्दूकें आदि हैं ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति।

श्री वेलायुधन: क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने इस संबंध में जांच की कि साम्यवादियों के पास इतनी बन्दूकें आदि कैसे—किन स्रोतों से—इकट्ठी हो गई ?

श्री बी० एस० मूर्ति : माननीय मंत्री के इस उत्तर से कि हथियार सौंपने वालों को कोई आश्वासन नहीं दिया जायगा, यह प्रश्न उठता है कि उन महोदय का क्या बना जिन्होंने हाल ही में हैदराबाद के मुख्य मंत्री को कुछ बन्दूकें आदि लौटाई थीं ?

डा० काटजू : वास्तव में इस प्रश्न का निर्णय करना तो हैदराबाद सरकार का काम है। वही सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह देखेगी कि क्या किया जा रहा है क्या हो रहा है और अपने हथियार सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन हैं।

राष्ट्रीय आय समिति

*९३. **श्री एस० एन० दास :** (क) क्या वित्त मंत्री २९ मई, १९५२ को मेरे द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २८८ की ओर निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रश्न पूछे जाने के बाद से राष्ट्रीय आय समिति की रिपोर्ट सरकार को मिल गई है ?

(ख) यदि हां, तो वे कौन सी महत्वपूर्ण कार्यवाहियां हैं जिन का सुझाव इस समिति ने दिया है ?

(ग) क्या सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार किया है और किन्हीं महत्वपूर्ण सिफारिशों पर निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग)। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि समिति द्वारा अपनी पहली रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अनुसंधान का प्रबन्ध करने के लिए कोई योजना बनाई गई है ; यदि हां तो उस योजना को लागू करने के लिए क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

श्री बी० आर० भगत : इस प्रश्न पर अभी विचार किया जा रहा है।

श्री बंसल : समिति की पिछली रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के बाद इस की कितनी बैठकें हुई हैं ?

श्री बी० आर० भगत : मुझे इस के लिए पूर्व सूचना चाहिये।

श्री एस० एन० दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस समिति ने अपनी पहिली रिपोर्ट में यह कहा था कि वह अपनी दूसरी रिपोर्ट १९५२ के प्रारम्भ में दे देगी, क्या मैं यह जान सकता हूं कि समिति द्वारा अपनी दूसरी रिपोर्ट के कब प्रस्तुत किए जाने की आशा है ?

श्री बी० आर० भगत : यह खेद का विषय है कि समिति के सदस्यों द्वारा अन्य कामों में व्यस्त रहने के कारण, और इसलिए भी, कि समिति ने नमूने की राष्ट्रीय पड़ताल योजना का निरीक्षण करने का निश्चय किया, इस रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने में देर हो गई। आशा है कि दिसम्बर तक अगली रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री एल० एन० मिश्र।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं रिपोर्ट का समय जानना चाहता हूं।

श्री बी० आर० भगत: दिसम्बर १९५२।

श्री बंसल: इस टुकड़ी के कर्मचारी इस ससय क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय: सदस्य ?

श्री बंसल: कर्मचारी ।

अध्यक्ष महोदय: अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं ।

कम्पनी क़ानून पुनरीक्षण समिति

*९४. **श्री एस० एन० दास:** (क) क्या वित्त मंत्री ६ जून, १९५२ को मुझ द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ५५५ के दिए गए उत्तर को ध्यान में रख कर यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कम्पनी कानून पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर जो कि विभिन्न राज्यों की सरकारों को भेजी गई थी राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो चुके हैं और सरकार ने उन पर विचार किया है ?

(ख) यदि हां तो समिति की ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं जो सरकार ने स्वीकार कर ली हैं ?

(ग) क्या सरकार का संसद के प्रस्तुत सत्र में कोई संशोधक विधेयक रखने का विचार हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) तथा (ख)। कुछ राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो गये हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं श्रीमान् ।

श्री एस० एन० दास: क्या में यह जान सकता हूं कि किसी सुगठित या संशोधक विधान रखे जाने तक सरकार ने इस अधिनियम के लागू किए जाने को पुनर्संगठित करने के सम्बन्ध में इस समिति की सिफारिश पर विचार किया है ?

श्री एम० सी० शाह: नहीं, क्योंकि एक व्यापक विधान जल्दी ही सदन के सामने आ रहा है। सच तो यह है कि निश्चय शीघ्र ही किया जायगा और विधेयक अगले आय व्ययक सत्र के अन्त तक रखा जायगा, यह विधेयक एक प्रवर समिति, जहां तक सम्भव हो, दोनों सदनों की प्रवर समिति को सौंप दिया जायगा और जल्दी ही इस पर विचार किया जायगा । इसलिए यह आवश्यक नहीं कि आंशिक रूप में कोई विधान पास किया जायें ।

अध्यक्ष महोदय: उन का प्रश्न यह है कि क्या उक्त विधान के प्रस्तुत होने तक सरकार का संगठन या प्रशासन सम्बन्धी कोई परिवर्तन लाने का विचार है । उन्होंने तो यह पूछा है ।

श्री एम० सी० शाह: श्रीमान्, मुझे उस के लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री के० के० बसु: क्या सरकार का इरादा है कि उस विधेयक के अन्तिम रूप में प्रस्तुत किए जाने से पहले कुल विधानात्मक परिवर्तन या अन्य संशोधन रखे जायें ?

अध्यक्ष महोदय: क्या दूसरे विधेयक के प्रस्तुत किए जाने तक, सरकार प्रस्तुत कानून में कोई संशोधन सदन के सामने रखने का विचार कर रही है ?

श्री एम० सी० शाह: जी नहीं श्रीमान्

बिहार के कुछ भाग का पश्चिमी बंगाल को हस्तान्तरण

*९५. **श्री ए० एम० टामस:** (क) क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा

करेंगे कि भारत सरकार का ध्यान, पश्चिमी बंगाल विधान सभा के उस संकल्प की ओर गया है जो कि बिहार के कुछ भाग पश्चिमी बंगाल को देने की प्रार्थना के सम्बन्ध में है ?

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार उस प्रार्थना को कार्यान्वित करने के लिये कुछ कार्यवाही कर रही हैं ?

(ग) क्या सरकार इस प्रश्न पर कोई वक्तव्य दे सकती है ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग)। पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से कोई नियमित पत्र प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा पत्र मिलने पर इस मामले पर विचार किया जायगा।

श्री ए० एम० टामस : बिहार का कौन सा भाग है जिसे पश्चिमी बंगाल को दिलवाने की चेष्टा की जा रही है ?

श्री दातार : इस सम्बन्ध में पूछताछ की जायगी।

अध्यक्ष महोदय : वे पूर्व सूचना चाहते हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : बिहार तथा पश्चिमी बंगाल की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार फौरन ही एक आयोग नियुक्त करने की सोच रही है जो प्रान्तों के भाषावार विभाजन के आधार पर यह निर्णय करे कि कौन सा क्षेत्र पश्चिमी बंगाल को मिलना चाहिये ?

श्री दातार : जी नहीं।

श्री ए० एम० टामस : पश्चिमी बंगाल द्वारा पास किये गये संकल्प के प्रति बिहार सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

श्री दातार : हम बिहार सरकार के विचार जानने की स्थिति में नहीं हैं।

विश्वविद्यालयों के स्तर

***९६. श्री ए० एम० टामस : (क)** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों के स्तर निर्धारित करने तथा उन में समन्वय स्थापित करने के प्रारूप विधेयक के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों तथा राज्यों की सरकारों की राय तथा सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

(ख) क्या प्रस्तावित विधान का विश्वविद्यालयों तथा राज्यों की सरकारों की ओर से विरोध किया गया है ?

(ग) सरकार इस विधेयक को कब रखने का विचार कर रही है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री ए० एम० टामस : विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा किये गये विरोध का स्वरूप क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : राज्य सरकारों विश्वविद्यालयों तथा अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की मुख्य आपत्ति यह थी कि यह विधेयक विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता का उल्लंघन करता है तथा राज्यों की सरकारों के अधिकारों का भी उल्लंघन करता है।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं यह जान सकता हूं कि अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने जिसकी बैठक मद्रास में हुई थी, इस

प्रश्न पर विचार किया था और भारत सरकार के शिक्षा सम्बन्धी परामर्शदाता ने इस बैठक में भाग लिया था ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, उसकी बैठक हुई थी और इस प्रश्न पर विचार किया गया था ।

श्री ए० एम० टामस : इस सम्बन्ध में अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड का संकल्प क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय: बोर्ड ने जो संकल्प पास किया वह बड़ा लम्बा है और उस में सरकार को कुछ सुझाव दिये गये हैं ।

श्री ए० एम० टामस: क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस समाचार का कोई आधार है कि यह विधेयक रखने का विचार छोड़ दिया जायगा?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद): जी नहीं ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि विश्वविद्यालय की शिक्षा के सम्बन्ध में राधाकृष्णन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में क्या होगा ?

श्री के० डी० मालवीय : इस सारे प्रश्न पर एक सम्मेलन में विचार किया जायगा जो कि शीघ्र ही बुलाया जा रहा है और जिसके सभापति शिक्षा मंत्री होंगे ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : इसमें लगभग कितना समय लगेगा ?

श्री के० डी० मालवीय: हम नें अभी तिथि निश्चित नहीं की परन्तु यह शीघ्र ही होने की संभावना है ।

श्री वी० पी० नायर: मैं यह जान सकता हूं कि क्या विश्वविद्यालयों के स्तर इस बात को ध्यान में रख कर निर्धारित किये जायेंगे कि विश्वविद्यालय की शिक्षा देश में उत्पादन तथा निर्माण में सहायक हो सके ?

श्री के० डी० मालवीय: इन सब प्रश्नों पर विचार किए जाने की आशा है ।

श्री बी० एस० मूर्ति: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों तथा अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने विरोध प्रकट किया है, क्या विधेयक के प्रारूप में उचित परिवर्तन किये जायेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय: जैसा कि मैंने कहा, शिक्षा मंत्री राज्य सरकारों और अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुला रहे हैं जिस से कि वे उनके साथ इस प्रश्न पर और आगे बातचीत कर सकें ।

केम्ब्रिज स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा

*९७. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगें ।

(क) भारत में उन स्कूलों के नाम जिनमें केम्ब्रिज स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा ली जाती है;

(ख) सरकार ने केम्ब्रिज स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा के स्थान में अखिल भारतीय प्रमाणपत्र परीक्षा रखने के कार्य में कहां तक प्रगति की है ;

(ग) भारतीय परीक्षा के लिए विस्तृत योजना तैयार करने के लिए कोई समिति बनाई गई है ; और

(घ) अन्त परीक्षा के स्थान में दूसरी परीक्षा रखने की प्रस्थापना के बारे में

जनता तथा पब्लिक स्कूलों की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) एक विवरण, जिस में उन स्कूलों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने दिसम्बर, १९५१ में छात्रों को केम्ब्रिज स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए तैयार किया सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १९]

(ख) तथा (ग) राज्य सरकारों तथा अन्य प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन १९ जुलाई, १९५२ को बुलाया गया था जिस में इस बात पर विचार किया गया कि केम्ब्रिज स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा के स्थान में एक अन्य परीक्षा ली जाया करे । इस सम्मेलन ने यह सुझाव दिया था कि यह काम धीरे धीरे किया जाय और उस ने इस मामले पर विस्तार पूर्वक विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी ।

(घ) पब्लिक स्कूल इस पक्ष में हैं कि केम्ब्रिज स्कूल के स्थान में अखिल भारतीय परीक्षा ली जाया करे जनता भी इसके पक्ष में मालूम होती है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि जो कान्फ्रेंस बुलाई गयी थी उसे में क्या यह तय हुआ कि किस माध्यम में आल इण्डिया सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन्स होंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : यह कान्फ्रेंस जो बुलाई गई थी उस ने कुछ तजवीजें की हैं और उन का नतीजा यह हुआ कि एक और कमेटी बनाई गयी है । यह कमेटी आज ही गालिबन् बैठेगी या ११ बजे से बैठ रही होगी । वह इन तमाम मसलों पर गौर करेगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : भारतवर्ष में जितने एंग्लो इण्डियन स्कूल हैं, उन की इस तरह का बदलाव करने के विषय में क्या राय है ?

श्री के० डी० मालवीय : उन की राय में इस तरह के बदलाव के मुआफिक है और एक आल इण्डिया सर्टीफिकेट एग्जामीनेशन का संगटन होगा और केम्ब्रिज स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामीनेशन की जो योजना है वह छोड़ दी जायेगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या इस प्रकार के बदलाव से कोई एंग्लो इण्डियन असोसियेशन का स्कूल नाराज़ है ?

शिक्षा, तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : कोई भी नाराज़ नहीं है।

श्री दाभी : केम्ब्रिज स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा वैसी ही अन्य परीक्षाओं के स्तरों से किस प्रकार भिन्न है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस सम्बन्ध में पता नहीं है परन्तु यदि माननीय सदस्य ब्यौरा चाहते हों तो मैं उसे प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या यह सच है कि केम्ब्रिज स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा लेने वाले स्कूलों को अनुपात से अधिक सरकारी अनुदान मिलता है, और यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर फिर से विचार करेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे नहीं मालूम कि उन्हें अनुपात से अधिक अनुदान मिल रहा है ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार हमें यह बताएगी कि इन विशेष स्कूलों

को दिए जाने वाले अनुदानों की तुलना में वैसे ही अन्य स्कूलों को कितने अनुदान दिए जाते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: जी हां, श्रीमान् ।

श्री एस० सी० सामन्त: जो कमेटी बिठाई गई थी वह कब तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं ने अभी अर्ज किया कि वह कमेटी आज से बैठी है और अपनी रिपोर्ट जल्दी पेश करने की कोशिश करेगी ।

निवारक निरोध अधिनियम

*९८. **श्री बी० के० दास :** क्या गृहकार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नियंत्रित सारभूत वस्तुओं को छिपा कर रखने वाले, बिना महसूल ले जाने वालें या उन को चोर बाज़ार में बेचने वाले कितने व्यक्तियों को १९४२ में केन्द्रीय सरकार के निवारक निरोध अधिनियम के अधीन नज़रबन्द किया गया ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या जो अभी तक नज़रबन्द हैं ; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें इस वर्ष में अब तक छोड़ा गया है ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) :
(क) ४८

(ख) २९

(ग) ६८

ये आंकड़े १ जनवरी, '५२ से १५ अक्तबर, '५२ तक के हैं ।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इन ४८ में से प्रत्येक राज्य के कितने व्यक्ति हैं ?

श्री दातार : कुल १० या ११ हैं ।

आसाम २ (क) १ (ख) तथा १ (ग)

बिहार ७ (ग)

मध्य प्रदेश १ (क) १ (ग)

मद्रास २ (क) २ (ग)

उड़ीसा २ (क) १० (ग)

पंजाब ४ (क) ६ (ग)

उत्तर प्रदेश ४ (ग)

पश्चिमी बंगाल ३६ (क) २८ (ख) तथा ३२ (ग)

हैदराबाद २ (ग)

हिमाचल प्रदेश १ (क) १ (ग)

(क) का अर्थ है वस्तुओं को जमा कर के रखने वाले बिना महसूल ले जाने वाले तथा चोर बाज़ार करने वाले व्यक्ति जो १९५२ में नज़रबन्द रखे गए । अर्थात यह प्रश्न के भाग (क) (ख) तथा (ग) के अनुसार है और ये आंकड़े इन्हीं भागों के अनुसार निर्दिष्ट हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान् क्या मैं यह जान सकती हूं कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद से उपरोक्त, व्यक्तियों की संख्या उसी काल में नज़रबन्द साम्य-वादियों की अधिकतम संख्या के बराबर हुई है ?

श्री दातार : यह कहना सम्भव नहीं है ।

श्री बी० के० दास: १९५२ में नजरबन्दी की अधिकतम तथा न्यूनतम कालावधि क्या थी ?

श्री दातार: इसके लिये मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

श्री विद्यालंकार: इन व्यक्तियों को मुक्त करने का निश्चय किस कसौटी के आधार पर किया गया ? क्या उन से किसी प्रकार का वचन या आश्वासन लिया गया जैसा कि राजनैतिक नजरबन्दों से लिया जाता था ?

श्री दातार: यह पाया गया कि उन को नज़रबन्द रखना आवश्यक नहीं।

श्री बी० के० दास: उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जो पिछले वर्षों से ही नज़रबन्द चले आ रहे हैं ?

श्री दातार: परन्तु ६८ में (ग) भाग के वे बन्दी भी हैं जिन्हें १ जनवरी, १९५२ तक नज़रबन्द रखा गया और उन में से कुछ को इस वर्ष छोड़ दिया गया है।

श्री बी० एस० मूर्ति: श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन नज़रबन्दों को कोई भत्ता दिया गया ?

श्री दातार: मैं पूछताछ करूंगा।

डा० एस० पी० मुखर्जी: क्या मैं उन व्यक्तियों की संख्या जान सकता हूं जिन्हें गत सत्र में निवारक निरोध अधिनियम के पास होने के बाद नज़रबन्द किया गया ?

श्री दातार: फ़ौरन ही यह बताना सम्भव नहीं है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: श्रीमान् क्या मैं उन व्यक्तियों की नजरबन्दी का काल जान सकता हूं जिन्हें छोड़ दिया गया ?

श्री दातार: इसके लिए मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

फ़ोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा अनुदान

*९९. **डा० रामा राव**: (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हाल ही में फ़ोर्ड प्रतिष्ठान ने भारत की शिक्षा संस्थाओं को कुल कितना अनुदान दिया है ?

(ख) भारत में ऐसे कौन प्राधिकारी हैं जो इस अनुदान में से विभिन्न संस्थाओं को धन बांटते हैं ?

(ग) इस अनुदान में से किन किन संस्थाओं को धन दिया गया और किन प्रयोजनों के लिए ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) सरकार को फ़ोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा भारत की शिक्षा संस्थाओं को कोई अनुदान दिये जाने की सूचना नहीं मिली है।

(ख) तथा (ग)। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

डा० रामा राव: क्या माननीय मंत्री का अभिप्राय यह है कि गैर सरकारी रूप से कोई लेन देन नहीं हुआ ?

श्री के० डी० मालवीय: निजी तौर पर चाहे कुछ लेन देन हुआ हो परन्तु भारत सरकार की मार्फ़त नहीं हुआ है।

श्री वैलायुधन: क्या इस का मतलब यह है कि फ़ोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा दिए जाने वाले अनुदान भारत सरकार के साथ परामर्श कर के नहीं दिये जाते ?

श्री के० डी० मालवीय: जहां तक शिक्षा संस्थाओं का सम्बन्ध है हम से सलाह नहीं ली जाती।

श्री बी० एस० मूर्ति: श्रीमान् मैं यह जान सकता हूं कि माननीय मंत्री को मालूम है कि मद्रास में एक फ़ोर्ड प्रतिष्ठान संस्था है और क्या उसे अनुदान दिया जा रहा है ? श्रीमान्, इसे फ़ोर्ड प्रतिष्ठान से कितना अनुदान मिल रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय: हमें इस सम्बन्ध में मालूम नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: किन सिद्धान्तों के आधार पर चुना जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय: किस बात के लिए ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: अनुदान देने के लिए ।

श्री के० डी० मालवीय: इस से सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ भी मालूम नहीं है ।

श्री के० के० बसु: अनुदान जिन्स में दिए जाते हैं जैसे खाद्य पदार्थों आदि के रूप में और नकद भी; क्या सरकार को जिन्स की तुलना में नकद अनुदानों पर कोई आपत्ति है ?

राष्ट्रमण्डलीय सेनापतियों का सम्मेलन

*१००. **श्री ईश्वर रेड्डी:** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जून, १९५२ के अन्तिम सप्ताह में दक्षिणी इंगलैंड में राष्ट्रमण्डल के देशों के सेनापतियों का जो सम्मेलन होना था, हुआ ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): जी हां ।

श्री ईश्वर रेड्डी: उस में कोरिया और मलाया के सैनिक पहलुओं पर विचार किया गया ?

सरदार मजीठिया: जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री ईश्वर रेड्डी: अधिकृत सूत्रों का कहना था कि तीन दिन की सैनिक बातचीत में एक मुख्य विषय इस बात पर विचार करना होगा कि कोरिया में राष्ट्रमंडलीय डिवीजन कैसे काम कर रहा है । तथा एक अन्य विषय मलाया के जंगलों की लड़ाई की नीति होगा । मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं ।

सरदार मजीठिया: इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति: इस सम्मेलन में किन विषयों पर विचार किया गया और क्या निश्चय किये गये ?

सरदार मजीठिया: मैं माननीय सदस्य का ध्यान १६ जून, १९५२ को पूछे गए प्रश्न संख्या ८७१ के, रक्षा मंत्री द्वारा दिये गए उत्तर की ओर दिलाता हूं ।

श्री के० के० बसु: क्या सरकार ने राष्ट्रमण्डल की रक्षा के सम्बन्ध में कोई वचन दिया था ?

सरदार मजीठिया: पिछले सत्र में दिये गये उत्तर में यह बात आ चुकी है ।

श्री वी० पी० नायर: क्या विश्व भर की सैनिक नीति के सम्बन्ध में इस सम्मेलन में विचार किया गया ?

श्री एम० एस० गुरुपाद स्वामी: क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस सम्मेलन में इस बात पर विचार किया गया था कि राष्ट्रमण्डल के प्रत्येक देश की रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएं क्या हैं ?

सरदार मजीठिया: मैं इस सम्बन्ध में उत्तर दे चुका हूं और रक्षा मंत्री ने

पिछले सत्र में बड़ा व्यापक उत्तर दिया था। इस सम्बन्ध में और कुछ भी नहीं कहना है।

श्री पुन्नूस : क्या मैं यह जान सकता हूं कि ब्रिटेन वालों ने हमारे सेनापतियों को परमाणु सम्बन्धी रहस्य बताये थे ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। अगला प्रश्न।

भारत संयुक्त राज्य अमरीका क़रार

***१०१. श्री पी० टी० चाको :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) फुलब्राइट अधिनियम के अधीन हुए भारत-अमरीका क़रार के अनुसार कहां तक सहायता दिये जाने का विचार है ;

(ख) उक्त क़रार के अधीन भारत को अब तक कुल कितनी सहायता मिल चुकी है ; और

(ग) यह राशि, यदि मिली तो, कैसे खर्च की गई ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) प्राप्य सूचना के अनुसार, इस योजना के अन्तर्गत ७५ लाख रूपये की राशि खर्च की जायेगी।

(ख) ३५,६५,२२४ रुपये।

(ग) १९५०, १९५१ तथा १९५२ में भारत आने वाले अमरीकन प्रोफेसरों, अनुसन्धान करने वालों स्कूलों के अध्यापकों तथा ग्रेजूएट छात्रों पर १३,८४,११६ रुपये ७ आने।

भारतीय प्रोफेसरों, अनुसन्धान करने वालों, अध्यापकों तथा छात्रों पर, जो अमरीका गये हुए हैं, १०,१८,२३९ रुपये १३ आने, ६ पाई। ४,०९,८५५ रुपये, ८ आने ९ पाई प्रशासन पर।

श्री पी० टी० चाको : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस क़रार के अधीन प्राप्य निधि किन शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी कार्यक्रमों पर खर्च की गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह निधि जिन शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी कार्यक्रमों पर खर्च की जायेगी, ये हैं :—भारत तथा अमरीका में स्थित न स्कूलों तथा शिक्षा तथा संस्कृति संस्थाओं में अध्ययन, अनुसन्धान तथा भारत तथा अमरीका के नागरिकों की अन्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यवाहियां।

श्री पी० टी० चाको : क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारत से अमरीका भेजे जाने वाले व्यक्ति और अमरीका से भारत आने वाले व्यक्ति को वास्तव में कितनी सहायता दी जाती है ?

श्री के० डी० मालवीय : इन दोनों में कुछ अन्तर है। यहां से अमरीका भेजे जाने वाले छात्रों को केवल आने जाने का खर्चा मिलता है। परन्तु जो अमरीका छात्र यहां आते हैं या जो भारतीय अमरीका में हैं और उन्हें वहां सुविधाएं दी जाती हैं, उन को आने जाने के खर्च के अतिरिक्त रहने, खाने पीने तथा फीस आदि भी दी जाती है।

श्री पी० टी० चाको : अमरीका से भारत भेजे जाने वाले व्यक्तियों के साथ अन्यों की अपेक्षा अच्छा व्यवहार क्यों किया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : वही तो क़रार में है। यह नहीं भूलना चाहिये कि रुपया तो अमरीका का ही है।

श्री पी० टी० चाको : इस निधि का स्रोत कौन सा है ?

श्री के० डी० मालवीय : दूसरे महायुद्ध के बाद छोड़ी गई सम्पत्ति का अमरीकन भाग बेचने से जो धन प्राप्त हुआ उसी से यह निधि बनी है ।

श्री पी० टी० चाको : क्या मैं यह जान सकता हूं कि अमरीका की फालतू सम्पत्ति बेच कर अब तक कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं ने बताया है कि यह ७५ लाख रुपये के लगभग है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या माननीय मंत्री जी बतलाएंगे कि वह योजना कितने वर्ष के लिये है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : कोई वक्त मुकर्र नहीं है जब तक यह फण्ड काम देगा ।

श्री विद्यालंकार : उन प्रोफेसरों तथा कारीगरों की संख्या क्या है जिन्हें अमरीका से निमन्त्रित किया गया और अमरीका भेजे गए भारतीय प्रोफेसरों तथा कारीगरों की संख्या कितनी है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास ऐसे विद्वानों की संख्या नहीं है जिन्हें अनुदान दिये गए हैं । परन्तु मैंने उन अनुदानों का उल्लेख किया है, जो दिये गए हैं ।

श्री दाभी : इस क़रार तथा फुलब्राईट अधिनियम के मुख्य उपबन्ध क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि आप इन दोनों प्रलेखों को स्वयं पढ़ लें तो अच्छा रहेगा ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं यह जान सकता हूं कि विद्वानों को चुनने में अमरीकी सरकार या यहां उन के एजन्टों का हाथ रहता है ।

श्री के० डी० मालवीय : वे संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार के प्रतिनिधि होते हैं और भारत सरकार और वह इन लोगों को चुनते हैं ।

हेलसिंकी में ओलिम्पिक खेलें

*१०२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत से कितने प्रतियोगियों ने हाल ही में हेलसिंक में हुई ओलिम्पक खेलों में भाग लिया ;

(ख) उन में पदक प्राप्त करने वाले भारतीय प्रतियोगियों के नाम;

(ग) इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों और टीमों के भाग लेंने के लिये भारत सरकार ने कितनी राशि दी थी; और

(ध) भारत ने इन खेलों पर, यात्रा, रहने के खर्च सहित, कुल कितनी राशि खर्च की ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) ८१

(ख) १२

(ग) १,२५,००० रुपये

(घ) ३,०९,००० रुपये ।

श्री वी० पी० नायर : खेलों में वास्तव में भाग लेने वालों की संख्या तथा अन्य व्यक्तियों, जो अधिकारी नहीं थे, और टीम के साथ वैसे गए, की संख्या कितनी थी ?

श्री के० डी० मालवीय: मुझे अलग अलग आंकड़ों का ज्ञान नहीं है । इस के लिए मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

श्री वी० पी० नायर: क्या इस बात को जानते बूझते टीम भेजी गई कि भारत में खेलों का स्तर बहुत नीचा है ?

श्री के० डी० मालवीय: कुछ विशेषज्ञों की यही राय है ।

श्री वी० पी० नायर: क्या सरकार ने अधिकारों के विदेशों में आचार के सम्बन्ध में कोई नियम बनाए थे ?

श्री के० डी० मालवीय: मुझे मालूम नहीं ।

श्री वी० पी० नायर: क्या यह सच है कि खेलों के मैदान के बाहर हमारे कुछ अधिकारियों ने धृष्ठता तथा गैर ज़िम्मेदारी से काम लिया ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

श्री वी० पी० नायर: एक ही प्रश्न और पूछना चाहता हूं, श्रीमान् । क्या यह सच है कि भारत के दो पदक-प्राप्त व्यक्तियों को जाने के लिए उधार लेना पड़ा ?

श्री के० डी० मालवीय: मुझ मालूम नहीं ।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं यह जान सकता हूं.........

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । आप एक ही प्रश्न पूछना चाहते थे, अगला प्रश्न ।

खेलों का स्तर

*१०३. **श्री वी० पी० नायर:** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने भारत में व्यायाम, जम्नास्टिक और खेलों के स्तर में सुधार करने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां में हो तो अब तक क्या कार्यवाहियां की गई हैं; और

(ग) क्या देश में खेलों के स्तर को ऊंचा उठाने की कोई योजना पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) तथा (ख) । यह विषय मुख्यत: राज्यों की सरकारों के अधीन है परन्तु भारत सरकार अखिल भारतीय खेल संस्थाओं को अनुदान देती रही है ।

(ग) जी हां ।

श्री वी० पी० नायर: खेलों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि रखी गई है ?

श्री के० डी० मालवीय: पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं के लिए व्यवस्था की गई है । परन्तु राशि ठीक ठीक कितनी होगी, इस सम्बन्ध में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया ।

श्री वी० पी० नायर: किस सूत्र द्वारा यह राशि खर्च की जायेगी ?

श्री के० डी० मालवीय: कोई निश्चय नहीं किया गया

श्री वी० पी० नायर: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हर्लसिंकी की ओलिम्पक खेलों में रूस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है क्या सरकार शारीरिक स्तरों को ऊंचा उठाने में रूस की सहायता लेने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री के० डी० मालवीय: यह तो माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो सुझाव है।

श्री के० के० बसु : कुछ खेलों में भारतीय टीम की सफलता तथा बहुत बड़ी हार को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार है कि खेल संस्थाओं के काम की जांच करने के लिए एक अखिल भारतीय आयोग स्थापित किया जाय ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं, श्रीमान्।

श्री बी० एस० मूर्ति : सरकार हमारे व्यायाम तक जम्नास्टिक्स में भाग लेने वालों के स्तरों को ऊंचा उठाने के लिए क्या विशेष कार्यवाहियां करने का विचार कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस से तो मुख्यतः राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, इस के अतिरिक्त हम राज्य सरकारों को और कुछ संस्थाओं को अनुदानों के रूप में सहायता देते हैं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या सरकार का ध्यान हेलसिंकी में हमारे प्रतिनिधियों के रवैये के सम्बन्ध में लगाए गए गम्भीर आरोपों की ओर दिलाया गया है--ये आरोप पश्चिमी बंगाल की कांग्रेस के मंत्री सरीखे व्यक्तियों ने लगाए हैं। वे बाक्सिंग टीम के प्रबन्धक हो कर गए थे, क्यों, यह कोई नहीं कह सकता। क्या सरकार का ध्यान एक और बात की ओर भी दिलाया गया है जो भारत के नाम को बट्टा लगाने वाली है--अर्थात् खेलों के खत्म होने पर भारतीय झण्डे का सम्भालने वाला कोई न था। भारत की टीम का कोई भी व्यक्ति भारत के झण्डे को ले जाने के लिए वहा नहीं था और फिनलैण्ड के कुछ खिलाड़ियों को भारत का झण्डा उठाना पड़ा ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं पश्चिमी बंगाल में था तो मैं ने इस सम्बन्ध में कुछ सुना था। सारी बातें मैं ने नहीं सुनीं।

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्रीमान, इस पर एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा तो कि वे पश्चिमी बंगाल में थे तो इस सम्बन्ध में उन्होंने कुछ सुना था।

श्री के० के० बसु : प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार भारत के बड़े बड़े नगरों में स्टेडियम बनाने में कुछ सहायता देने का विचार कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह तो एक सुझाव है।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, मेरा एक प्रश्न है और वह बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को छोड़ कर कि व्यायाम शिक्षा राज्यों का विषय है और केन्द्रीय सरकार कुछ अनुदान दे रही है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार देश में व्यायाम शिक्षा के स्तरों को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : जैसा कि मैं ने कहा, इस प्रश्न पर पंच वर्षीय योजना में विचार किया गया है। हम वैसे कुछ सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्रीमान, मेरा केवल एक प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं।

गजेटिड तथा अगजेटिड नियुक्तियों में कमी

***१०७. श्री ए० एन० विद्यालंकार :**

क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १५ अगस्त, १९४७ के बाद से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में कितनी गजटिड तथा अगजेटिड नौकरियां कम की गई और उस से वेतनों की कितनी राशि की बचत हुई;

(ख) इसी काल में विभिन्न मंत्रालयों में वैसी कितनी नयी नौकरियां स्थापित की गई;

(ग) नई नियत्तियों के कारण खर्च की कितनी राशि बढ़ी है ; और

(घ) सरकार ने सरकारी सेवाओं पर खर्च कम करने के लिए क्या कार्यवाहियां की हैं ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) से (ग). यह सूचना इक्कठी की जा रही है और समय आने पर सदन पटल पर रख दी जायगी।

(घ) यह मंत्रालय नई नौकरियों से सम्बन्ध रखने वाली प्रस्थापनाओं की ध्यान-पूर्वक तथा विस्तार के साथ जांच पड़ताल करता है। अधिक से अधिक बचत करने के विचार से जहां भी सम्भव हो सका है नौकरियों में कमी की गई है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जब अस्थायी रूप से आवश्यकता हो, तो अस्थायी नौकरियों की स्वीकृति दी जाती है और वह आवश्यकता पूरी होते ही अतिरिक्त नौकरियां कम कर दी जाती ह। जैसा कि वित्त मंत्री ने इस सदन में १९५२-५३ के आयव्ययक भाषण में कहा था, हमारे जैसी आर्थिक व्यवस्था म जो फैल रही हो, प्रशासन सम्बन्धी खर्च में होने वाली बचत विकास खर्च के लिए बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने में खप जाती है। जैसा कि उस समय वित्त मंत्री ने वचन दिया था, गृह कार्य तथा वित्त मंत्रालयों के अधिकारियों की एक विशेष टुकड़ी इस समय मंत्रालयों तथा उसके अन्तर्गत कार्यालयों के संगठन की विस्तार-पूर्वक जांच कर रही है जिस से कि जहां भी सम्भव हो खर्च में बचत की जाय।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या सरकार ने अपने कार्यालयों के पुनर्संगठन और उन का खर्च कम करने के लिए कोई समिति या आयोग नियुक्त किया था ?

श्री त्यागी : मैं ने कहा है कि बहुत सी प्रस्थापनाओं पर विचार किया गया और मैं इस सदन की दो समितियों आंक समिति तथा लोक लेखा समिति—का आभारी हूं। उन की सिफारिशों से मुझे बड़ी सहायता मिली। इस सम्बन्ध में स्वयं वित्त मंत्रालय ने १९५०-५१ में ५ लाख रुपये की और १९५१-५२ में १२४ लाख रुपये की बचत की है।

आंक समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार, २७ लाख रुपये की बचत १९५०-५१ में और २२ लाख रुपये की बचत १९५१-५२ में की गई—निस्सन्देह इसका श्रेय इस सदन की समिति को है।

इसके अतिरिक्त, यह तो मैं ने कहा ही है कि एक टुकड़ी विभिन्न मंत्रालयों के साथ काम कर रही है। वह उन के कर्मचारी वर्ग तथा काम का निरीक्षण कर रही है। इसमें वित्त मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव तथा एक उप सचिव और गृह मंत्रालय के एक उप सचिव हैं। इन्होंने ने खाद्य तथा कृषि मंत्रालयों का निरीक्षण समाप्त कर लिया है और इन दोनों मंत्रालयों के ४ करोड़ रुपये के आय-व्ययक में ५० लाख रुपये का खर्च कम करने की सिफारिश की है। उन्होंने सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय का भी निरीक्षण किया है और उस के ७० या ८० लाख रुपये के प्रस्तावित खर्चे में २० लाख रुपये

की बचत करने की सिफारिश की है। इस से मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिलता है और मुझे यह बताने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि सिंचाई तथा बिजली मंत्रालय ने इन सिफ़ारिशों को लगभग मान ही लिया है। जल्दी ही ये सिफारिशें लागू हो जायेंगी।

इस समय यह टुकड़ी श्रम मंत्रालय के निरीक्षण का काम कर रही है और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे सहयोगियों —वाणिज्य तथा उद्योग के मंत्री तथा संचरण मंत्री——ने यह प्रार्थना की है कि यह टुकड़ी उन के मंत्रालयों का भी निरीक्षण करे। इस टुकड़ी के काम को अच्छा समझा जा रहा है और मुझे आशा है कि इस के फल अच्छे ही होंगे।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या सरकार यह समझती है कि सरकारी विभागों का खर्च उस से अधिक घटाया जाना आवश्यक है, जितना कि यहां बताया गया है?

श्री त्यागी: मुझे यह मानना पड़ेगा कि ऐसी जो बचत हुई है उस से मैं नर्णतया संतुष नहीं हूं और खर्च घटा का प्रत्यक प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु खर्च घटाने में कुछ ऐसी अतिरिक्त मदें भी हैं जो सारे देश के आर्थिक प्रसार के कारण ोती ह।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या सरकार इस सम्बन्ध में सारे विभागों का फिर से संगठन और उन्हें ठीक ठाक करेगी?

श्री त्यागी : इस टुकड़ी के काम करने का यही अभिप्राय है।

श्री गिडवानी : क्या मरकार को मालूम है कि कुछ अधिकारी रियाटर होने के बाद फिर रख लिये जातें हैं क्योंकि उन पर बड़ा अ ुग्रह किया जाता है?

श्री त्यागी: बहुत ही कम मामलों में, जबकि विशेषज्ञ न मिल सकते हों और महत्वपूर्ण कामों की देखभाल की जानी हो, कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है परन्तु बहुत ही कम समय के लिये।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान, क्या मैं यह जान सकता हूं कि हाल ही में अतिरिक्त उपमंत्री तथा सभा सचिब नियुक्त किये जाने पर उनके अधीन अतिरिक्त कर्मचारियों पर लगभग कितना खर्च होगा? मंत्रियों तथा उनके कर्मचारियों पर लगभग कितना खर्च होगा?

श्री त्यागी : नए उपमंत्रियों तथा मंत्रियों के फौरन ही बाद प्रधान मंत्री ने यह निदेश जारी किया कि जहां तक हो सके नए कर्मचारी नियुक्त न किये जायं और मंत्रालय अपने पहले कर्मचारियों से ही अतिरिक्त काम कराने की चेष्टा करें।

श्री दामोदर मेनन: माननीय मंत्री ने अभी कहा कि एक मंत्रालय ने उस टुकड़ी की सिफारिश स्वीकार कर ली ह। खाद्य तथा कृषि मंत्रालम ने क्या किया?

श्री त्यागी: स्थिति यह है कि ज्यों ही इस टुकड़ी की सिफारिशें मेरे मंत्रालय में आती हैं, हम मंत्रालयों के साथ उनके सम्बन्ध में बातचीत करते हैं। हमने एक मंत्रालय के साथ बातचीत की है और वह मान गया है। एक अन्य संयुक्त सचिव दूसरे मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है। मैं ने हाल ही में राजस्व तथा व्यय सचिव से कहा है कि वह स्वयं इस काम को सम्भाले और वह प्रत्येक मंत्रालय मे

जाकर उन से बातचीत करेगा । मुझे अभी दूसरे मंत्रालय की प्रतिक्रिया मालूम नहीं हुई ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात आई है कि सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभिन्न स्थानों पर लोक सेवा आयोग की पहले से या नियमानुसार स्वीकृति लिए बिना लोगों को नियुक्त कर देते हैं ?

श्री त्यागी : अभी यह बात मेरे ध्यान में नहीं आई ; जहां तक मुझे याद है कि नई नियुक्तियों के सम्बन्ध में प्रत्येक नौकरी लोक सेवा आयोग की मार्फत आती है और तब उन पर गृह मंत्रालय विचार करता है । प्रस्थापनाएं मेरे मंत्रालय में भी आती हैं । मेरा विचार है कि जहां लोक सेवा आयोग या किसी मंत्रालय से बात न की गई हो, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती ।

श्री के० के० बसु : क्या यह सच है कि बहुत से ऐसे अगजेटिड अधिकारी हैं जिन्हें कई वर्ष तक कार्य करते रहने के बाद भी अस्थायी समझा जाता है और उन में से कितनों की छटनी कर दी जायगी ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह तो इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । यह बड़ी दूर की बात है ।

श्री दाभी : भारतीय प्रशासनीय सेवा में नियुक्त किए जाने वालों के वेतन तथा भत्तों की श्रेणी क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे उत्पन्न होता है ? सभी तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं ।

प्रशिक्षण केन्द्र (आंककीय प्रकार नियंत्रण प्रविधियां)

*१०८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आंककीय प्रकार नियंत्रण प्रविधियों के प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र नई दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई में स्थापित किए जा चुके हैं ;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के टेकनीकल सहायता व्यवस्थान द्वारा रखे गये विदेशी विशेषज्ञ इन केन्द्रों का काम सम्भालने के लिये भारत पहुंच चुके हैं ;

(ग) क्या प्रशिक्षण का कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है ; और

(घ) भारतीय मंत्रिमंडल के आंककीय परामर्शदाता के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा बनाई गई समिति इन विशेषज्ञों को कैसे सहायता दे रही है या देगी ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी हां, श्रीमान् । प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम बारी बारी से नई दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में होंगे ।

(ख) जी हां, श्रीमान, ६ अक्तूबर, १९५२ को ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था जो १३ अक्तूबर १९५२ को नई दिल्ली में प्रारम्भ हुई, राष्ट्रीय समन्वय समिति के अधीन की जा रही है । इस के अध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य श्री वी० टी० कृष्णमाचारी हैं और इसके सदस्य-सचिव, मंत्रिमंडल के आंककीय परामर्शदाता प्रो० पी० सी० महालनोबिस हैं । समिति ने प्रशिक्षण केन्द्रों का चुनाव,

प्रशिक्षण कार्यक्रम का काल, प्रशिक्षणार्थियों का चुनाव आदि जैसा प्रशिक्षण सम्बन्धी ब्यौरा तै कर लिया है। नई दिल्ली में प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है और कलकत्ते में प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम १० नवम्बर, १९५२ से प्रारम्भ होगा।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि कितने विदेशी विशेषज्ञ आए हैं, और उनके नाम क्या हैं ? वे किन विश्वविद्यालयों के हैं ?

श्री बी० आर० भगत : उनकी संख्या ५ है और उनके नाम ये हैं :

(१) प्रो० एलिस आर० आट्ट, जो कि न्यू जर्सी में, न्यू ब्रन्सविक के स्ट्गर्स विश्वविद्यालय में व्यवहारिक अंकशास्त्र विभाग के अध्यक्ष हैं।

(२) प्रो० पाल क्लिक्कोर्ड, जो न्यू जर्सी में न्यू जर्सी राज्य अध्यापक कालेज के हैं।

(३) इलिनोस में नार्थवेस्ट विश्वविद्यालय मे व्यवहारिक अंकशास्त्र विभाग के प्रो० मेसन ई० वेस्टकाट्ट।

(४) डेन्मार्क में कोप्रनहेगन विश्वविद्यालय के प्रो० एन्डर्स हाल्ड।

(५) न्यू जर्सी में न्यू ब्रन्सविक के विश्वविद्यालय में आंककीय प्रकार नियंत्रण के प्रोफेसर टामस बुडने।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि प्रशिक्षण पाने वालों को कैसे भर्ती किया जायगा और क्या कोई विदेशी छात्र भी लिए जायेंगे ?

श्री बी० आर० भगत : प्रशिक्षण पाने वालों को विभिन्न औद्योगिक कम्पनियों और सरकारी विभागों से लिया जा रहा है। जहां तक मुझे पता है, उन में कोई विदेशी नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारतीय उद्योगों को इस प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के प्रयोजन तथा लाभों से कैसे परिचित कराया जायगा ?

श्री बी० आर० भगत : उन्हें अपव्यय में कमी तथा औद्योगिक नियंत्रण में कार्यक्षमता द्वारा लाभ पहुंचेगा। यह आशा की जा रही है कि वैसे ही टैकनीकल सामान, पूंजी तथा अन्य लागतों के होते हुए, यदि यह योजना सफल रही, तो उत्पादन में १० से १५ प्रतिशत तक वृद्धि होगी।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं यह जान सकता हूं कि लेक्चरों के कमरों की सुविधाएं तथा अन्य सामान के आवश्यक प्रबन्ध कौन करेगा ?

श्री बी० आर० भगत : जैसा कि मैंने पहले कहा सारी योजना का संगठन राष्ट्रीय समन्वय समिति ने किया है जिसके अध्यक्ष श्री वी० टी० कृष्णमाचारी तथा सदस्य-सचिव प्रो० पी० सी० महालनोबिस हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह है कि खर्च कौन देगा ?

श्री बी० आर० भगत : यह खर्च संयुक्त राष्ट्र संघ टेकनीकल सहायता व्यवस्थान देता है और भारत सरकार रहन सहन, परिवहन तथा डाक्टरी सहायता आदि पर ५०,००० रुपये का खर्च और सचिवालय सहायता, कार्यालय तथा यात्रा भत्ता के खर्च के लिए अधिक से अधिक २५,००० रुपया देगी।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच है कि प्रबन्ध की सारी जिम्मेदारी मंत्रीमंडल समिति अपने ऊपर लेगी ?

श्री बी० आर० भगत: प्रबन्ध की जिम्मेदारी राष्ट्रीय समन्वय समिति ने ली है ।

श्री दाभी: इन विदेशियों की सेवा की शर्तें क्या हैं ?

श्री बी० आर० भगत: वे संयुक्त राष्ट्र संघ सहायता कार्यक्रम के साथ एक करार के अधीन हैं ।

श्री एस० एन० दास: इस प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के आधार पर मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम तैयार किए गये हैं वे कैसे हैं ?

श्री बी० आर० भगत: मेरा विचार है कि कुछ समय पहले समाचार पत्र सूचना कार्यालय ने एक समाचार दिया था, जो समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था, उस में इस प्रकार नियंत्रण प्रशिक्षण में व्यौरा हुआ था ।

श्री एस० एन० दास: मैं यह जानना चाहता हूं कि इन केन्द्रों में प्रत्येक वर्ष में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

श्री बी० आर० भगत: प्रत्येक केन्द्र में प्रशिक्षण पाने वालों की संख्या लगभग ४० है । ऐसे लोगों की कुल संख्या लगभग १२८ है जो उद्योगों से प्रशिक्षण के लिए आए हैं और १६ उन अध्यापकों की जो इस कार्यक्रम को चलाने के लिए प्रशिक्षण पा रहे हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या मैं यह जान सकता हूं कि प्रशिक्षण का काल कितना है और क्या सरकार तीन केन्द्रों के स्थान पर एक ही केन्द्र रखने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न का दूसरा भाग सुझाव है इसलिए केवल पहले भाग का ही उत्तर दिया जाना चाहिए ।

श्री बी० आर० भगत: चार केन्द्रों का प्रशिक्षण काल इस प्रकार है :

दिल्ली १३ अक्तूबर से ३१ अक्तूबर, १९५२ (समाप्त हो चुका है)
कलकत्ता १० नवम्बर से २९ नवम्बर, १९५२
मद्रास १ दिसम्बर से १९ दिसम्बर, १९५२
बम्बई २९ दिसम्बर, १९५२ से १७ जनवरी, १९५३ ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या यह सच नहीं कि यह तै हुआ था कि प्रशिक्षण केन्द्र तीन स्थानों में खोले जायेंगे ? माननीय मंत्री ने हमें बताया है कि ये केन्द्र चार स्थानों में खोले गए हैं। तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि निकट भविष्य में कुछ और केन्द्र खोले जायेंगे ?

श्री बी० आर० भगत: इस बात का विचार नहीं किया जा रहा ।

संयुक्त राज्य अमरीका का वायु-प्रतिनिधिमण्डल

*१०९. **श्री तुषार चटर्जी:** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले संयुक्त राज्य अमरीका के एक वायु-प्रतिनिधिमंडल ने भारत के हवाई अड्डों का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का प्रयोजन तथा व्यौरा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) तथा (ख). किसी ऐसे प्रतिनिधिमंडल ने भारत के हवाई अड्डों का दौरा नहीं किया है, शायद माननीय सदस्य थाईलैण्ड में अमरीका के सैनिक सहायता दल के कर्नल शेल्डन तथा दो अन्य अधिकारियों की बात सोच रहे हों जो पिछले अगस्त में यहां आए थे । ये अधिकारी भारतीय वायु-सेना के

तत्कालीन प्रधान सेनापति के निमंत्रण पर, जो उन्होंने १९५१ में थाईलैण्ड के सद्भावना-दौरे के समय दिया था, भारत तथा लंका के दृश्य स्थानों को देखने के दौरे पर आए थे। इस दौरे के समय उन्होंने हमारी वायु-सेना के कुछ केन्द्र भी देखे।

श्री के० के० बसु: क्या हमारी कोई रक्षा-प्रतिष्ठापना या हवाई अड्डे देखने की वस्तुएं समझी जाती हैं?

सरदार मजीठिया: यह अपने काम की दिलचस्पी की बात भी है; जब लोग आते हैं तो स्वाभाविक ही है कि वे ऐसी दिलचस्पी के स्थान भी देखते हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन अधिकारियों को कोई फोटो या नकशे दिए गए थे?

सरदार मजीठिया: जी नहीं, श्रीमान्।

श्री एच० एन० मुखर्जी: क्या मैं जान सकता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रस्तुत परिस्थिति में सरकार की यह मन्शा है कि किसी बड़ी शक्ति के बड़े-बड़े सैनिक अधिकारियों को अपनी सैनिक प्रतिष्ठापनाएं देखने दी जायं और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि अमरीका की हवाई सेना के इन अधिकारियों का दौरा, जून में अमरीकी राजदूत द्वारा भारतीय अधिकारियों को दिए गए भाषण के सम्बन्ध में ही था जिस में उन्होंने एशिया में लोकतंत्रवाद की रक्षा के लिए सैनिक बातों की अदला बदली की बात की थी?

सरदार मजीठिया: यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

सरकारी कर्मचारियों के संघ

***११०. श्री एच० एन० मुखर्जी:** क्या गृह कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के संघों या संस्थाओं द्वारा गैर सरकारी व्यक्तियों को अपने सदस्य या पदाधिकारी चुनने पर कोई प्रतिबन्ध है?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार): सम्भवतः माननीय सदस्य औद्योगिक कर्मचारियों के अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों के संघों तथा संस्थाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। निदेश ये ह कि साधारणतया गैर सरकारी व्यक्तियों को ऐसी संस्थाओं के सदस्य या पदाधिकारी बनने का अधिकार नहीं होना चाहिये।

श्री एच० एन० मुखर्जी: क्या यह सच नहीं है कि देश के कानून के अधीन, ऐसे व्यक्ति, जो विशेष कारखानों, वर्कशापों या प्रतिष्ठानों में काम न भी कर रहे हों, किसी खास संख्या तक, ऐसी संस्थाओं के पदाधिकारी चुने जा सकते हैं और यदि यह सच है तो क्या सरकार इस छल-द्वारा देश के कानून से बचना चाहती है?

श्री दातार: देश का ऐसा कोई कानून नहीं है।

श्री रघुरामय्या: क्या मैं यह जान सकता हूं कि गैर सरकारी व्यक्तियों तथा कुछ राजनैतिक दलों द्वारा सरकारी कर्मचारियों से अनुचित लाभ उठाए जाने को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसा प्रतिबन्ध लगाना अच्छा नहीं समझती?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। यह तो कार्यवाही का सुझाव है।

श्री एच० एन० मुखर्जी: क्या यह सच नहीं है कि जब एक मंत्री यह कहते ह कि यह देश का कानून नहीं है, तो यह ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जाना चाहिये? परन्तु इस देश के मजदूर

संघों सम्बन्धी विधान के कुछ विशिष्ट उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, सरकारी कर्मचारियों को यह आज्ञा दे सकती है कि वे ऐसे लोगों को अपना पदाधिकारी न बनायें जो सरकारी कर्मचारी न हों? मैं ने यह प्रश्न इसलिये पूछा कि यह सिद्धान्त का विषय है। और इस सदन के ऐसे बहुत से सदस्य हैं जो पदाधिकारियों के रूप से सम्बन्ध रखते हैं.........

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं। वे फिर कभी इस प्रश्न को उठा सकते हैं, प्रश्नोत्तर काल में नहीं।

मैं अगले प्रश्न पर आता हूं।

औद्योगिक वित्त व्यवस्थान

***१११. डा० राम सुभग सिंह:** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि औद्योगिक वित्त व्यवस्थान ने अल्यूनियम कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को ऋण दिया है?

(ख) यदि हां, तो ऋण की राशि क्या है?

(ग) यह कार्पोरेशन कब बनाई गई थी और किस ने इस की स्थापना की थी?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) से (ग). उधार लेने वाली कम्पनियों का यह अधिकार है कि लेन देन की ऐसी बातें गुप्त रखी जायें जैसा कि बैंक तथा उस के ग्राहकों के बीच होता है। इसलिये यह सूचना देना जन हित में नहीं होगा।

डा० राम सुभग सिंह: क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस कार्पोरेशन का प्रबन्ध ठीक ढंग से किया जा रहा है?

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य राय पूछ रहे हैं, इसलिये मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता।

बिहार की चुनाव अपीलें

***११२. श्री डी० एन० सिंह:** क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जन प्रतिनिधान अधिनियम के अधीन बिहार राज्य से कुल कितनी चुनाव अपीलें की गईं?

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास): बिहार राज्य से २४ चुनाव अपीलें की गईं।

सिंध में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

***११३. श्री गिडवानी:** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने अन्तिम रूप से पाकिस्तान में ही रहने की इच्छा प्रकट की थी परन्तु परिस्थितियों के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा, उन्हें संघ सरकार में फिर नौकरियां दे दी गई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन कर्मचारियों की सेवा को नियमित नहीं किया गया और उन्हें अस्थायी कर्मचारी समझा जाता है हालांकि वे केन्द्रीय सरकार के अधीन कई वर्ष तक स्थायी-कर्मचारियों के रूप में कार्य कर चुके हैं;

(ग) क्या १९५१ में ऐसे कर्मचारियों से कुछ सूचना मांगी गई थी जिस से कि उन की सेवा नियमित कर दी जाय; और

(घ) उन की सेवा के अब तक नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं और उसे कब तक नियमित किया जायगा?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां, विभाजन परिषद् के निश्चय के अनुसार वे सब व्यक्ति जिन्होंने अन्तिम रूप से पाकिस्तान में रहने का निश्चय किया, नौकरी, पेंशन तथा सेवा सम्बन्धी अन्य लाभों के लिये उसी सरकार से आशा रखें। परन्तु इन व्यक्तियों को कठिनाई से बचाने के लिये, भारत सरकार ने इन व्यक्तियों को अस्थायी रूप से रखने का निश्चय किया। मार्च, १९५० में उस ने पाकिस्तान सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा कि ऐसे सारे सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध म यह मान लिया जाय कि यदि वे भारत या पाकिस्तान में अपनी नौकरियां १५ फरवरी, १९४८ से पहले सम्भाल चुके हों. जहां हैं, उसी देश की सरकार में काम करने के इच्छुक हैं। अभी तक पाकिस्तान सरकार का उत्तर नहीं मिला है।

(ग) तथा (घ). जी हां।

सूचना इसलिए मांगी गई थी कि यह मालूम किया जाय कि इस समस्या का प्रसार कितना है और इस के हल करने में कितना धन खर्च होगा। पाकिस्तान सरकार का उत्तर मिलने के बाद जितनी जल्दी हो सका, अन्तिम निर्णय किया जायगा।

श्री गिडवानी : क्या सरकार पाकिस्तान सरकार से किसी उत्तर की आशा रखती है ?

श्री दातार : हम अपनी पड़ौसी सरकार से उत्तर की आशा रखते हैं।

श्री गिडवानी : मान लीजिए कि उत्तर न आये.. .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। इस समय तो यह अनुमान की बात होगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पुस्तकालय आन्दोलन

***१०४. श्री झूलन सिन्हा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने भारत में पुस्तकालय आन्दोलन को प्रोत्साहन देने तथा उस का विकास करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिये **परिशिष्ट १०, अनुबन्ध संख्या २०**]

हवाई अड्डा सबेया थाना, बिहार

***१०५. श्री झूलन सिन्हा :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में मीरगंज सराय में सबेया थाना पर एक हवाई अड्डा पिछले महायुद्ध में बनाया गया था और इस काम के लिए प्राप्त भूमि पर कई घर बनाये गये थे;

(ख) क्या यह सच है कि इन में से बहुत से मकान गिर रहे हैं और उन में से कई तो गिर चुके हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि वायुयानों के दौड़ने की पटड़ियां सामान्य यातायात के रास्तों के रूप में प्रयुक्त की जा रही हैं और घिस रही हैं ;

(घ) क्या सरकार की मन्शा है कि इस हवाई अड्डे को बनाए रखा जाये; और

(ङ) इस मन्शा को कार्यान्वित करने तथा इस हवाई अड्डे को ठीक ठाक तथा बड़े

वायुयानों के योग्य बनाए रखने के लिए क्या प्रबन्ध किए जा रहे है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार **मजीठिया**) : (क) जी हां ।

(ख) इस हवाई अड्डे पर के भवन १९५० में राज्य सरकार को दे दिये गये थे । इसलिए भारत सरकार को इन भवनों की हालत के सम्बन्ध में कुछ पता नहीं है ।

(ग) हवाई जहाजों के दौड़ने की पटड़ियां रक्षा की आवश्यकताओं के अतिरिक्त हैं और इसलिए उन्हें बनाए नहीं रखा जा रहा । सरकार के पास इस सम्बन्ध में सूचना नहीं है कि इन्हें सामान्य यातायात के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है । यह भी सम्भव है कि उन्हें बनाए न रखे जाने के कारण वे खराब हो रही हों ।

(घ) नहीं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विश्वविद्यालय अनुदान समिति

***१०६. श्रीमती जयश्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को उस संकल्प का पता है जो अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने हाल ही में मद्रास में अपनी बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान समिति बनाने के सम्बन्ध में पास किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह विश्वविद्यालय अनुदान समिति वैसे ही कार्य करेगी जैसी कि इस समय बृटेन में काम कर रही है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी हां ।

523 PSD

(ख) लगभग उसी तरह सिवाय इस बात के कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्यक्षेत्र चार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा उन विश्वविद्यालयों तक ही सीमित हैं जिन के अनुदान के लिए प्रार्थना-पत्र सरकार द्वारा इसे भेजे जाते हैं ।

राज्यों के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन

***११४. श्री ए० सी० गुहा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हाल ही में दिल्ली में हुए, राज्यों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में किन विषयों पर विचार किया गया और क्या निर्णय किए गय; और

(ख) क्या ये निर्णय सभी को मानन पड़ेंगे या सिफारिशों जैसे होंगे ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख). इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि विभिन्न वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में विचार-विनिमय किया जाय जिस से कि देश के आर्थिक विकास से सम्बद्ध समस्याओं पर की जाने वाली कार्यवाही में अधिक से अधिक तालमेल हो । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है जिस में इस सम्मेलन के कार्यक्रम के विषय तथा किए गए मुख्य निर्णय दिए गए हैं । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २१**]

भरती के केन्द्र

***११५. श्री अच्युतन** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रक्षा सेनाओं के कितने भरती केन्द्र हैं और कहां कहां पर हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : सेना के सैनिकों तथा नौसेना के नाविकों की भरती के १० मुख्य तथा ४४ छोटे भरती

के केन्द्र हैं। वायु सेना की भरती के १४ केन्द्र हैं। वे कहां पर स्थित हैं और किन क्षेत्रों से भरती करते हैं, यह उस विवरण में दिया गया है जो सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २२**]

सोने चांदी के गहनों का निर्यात

२८. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार सोने चांदी के गहनों तथा बरतनों के निर्यात पर से प्रतिबन्ध उठाने का विचार कर रही है या उठा चुकी है ?

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जनवरी, १९५० से चांदी के बरतनों तथा गहनों के खुले आम निर्यात की अनुमति दी गई है जिस से कि घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिले और विदेशी मुद्रा प्राप्त हो। ऐसे गहनों को बाहर भेजने के लिए, जो सारे ही या जिनका कुछ भाग सोने का बना हो, रिज़र्व बैंक से अनुमति लेनी पड़ती है। सोने के बरतनों के बाहर भेजने की अनुमति नहीं दी जाती।

(ख) सरकार के विचार में कोई विशेष कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

पुस्तकालय परियोजना

२९. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शिक्षा विज्ञान तथा संस्कृति संस्था न भारत में एक प्रारम्भिक पुस्तकालय परियोजना की स्थापना के लिए कुछ धन दिया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी थी;

(ग) इस योजना के अधीन कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया;

(घ) क्या परियोजना प्रारम्भ कर दी गई है; और

(ङ) इस परियोजना पर प्रतिवर्ष भारत को कितना खर्च करना पड़ेगा ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (घ). जी हां। संयुक्त राष्ट्र संघ की शिक्षा विज्ञान तथा संस्कृति संस्था ने एक दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना के लिए धन दिया है। इसके ढांचे तथा कार्यवाहियों का व्यौरा, १८ जुलाई १९५२ को श्री एस० एन० दास द्वारा पूछ गये अतारांकित प्रश्न संख्या ४५४ के उत्तर में दिया गया था।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ की शिक्षा विज्ञान तथा संस्कृति संस्था ने विभिन्न वर्षों नें निम्न धन दिया :

१९४९	१४७८ डालर
१९५०	६११२ ,,
१९५१	१५३८० ,,
१९५२	१६८१८ ,,

(आय-व्ययक अस्थायी है)

(ग) इस पुस्तकालय के प्रस्तुत निदेशक को संयुक्त राष्ट्र संघ की शिक्षा विज्ञान तथा संस्कृत संस्था की पारिषधता के अधीन प्रशिक्षण दिया गया औ

पुस्तकालय के एक और कर्मचारी को प्रशिक्षण देने के लिए एक और पारिषघता की व्यवस्था की जा रही है।

(ङ) २१ मई १९५१ को भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की शिक्षा विज्ञान तथा संस्कृति संस्था के बीच हुए करार, जो कि १९५१ से १९५४ (१९५५ के वित्तीय वर्ष) तक के काल के लिए हैं, के अधीन भारत सरकार १,२०,००० डालर के बराबर धन राशि का प्रबन्ध करेगी जब कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शिक्षा विज्ञान तथा संस्कृति संस्था इसी काल के लिए ६० हज़ार डालर की राशि की व्यवस्था करेगी। अब तक भारत सरकार और दिल्ली की नगरपालिका निम्नलिखित राशियां दे चुकी हैं :

भारत सरकार :—

१९५०–५१	१,०७,६०० रुपये
१९५१–५२	६०,००० ,,
१९५२–५३	४५,००० ,,

(आय-व्ययक में रखे गए २,१०,००० रुपयों में से)

दिल्ली की नगरपालिका :—

१९५०–५१	२५,००० रुपये
१९५१–५२	२५,००० ,,

दवाइयों पर उत्पादन शुल्क

३०. **डा० अमीन :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार का, संविधान की सातवीं अनुसूची की ८४वीं मद के अनुसार, दवाइयों पर उत्पादन शुल्क को केन्द्रीय प्रशासन का विषय बनाने का विचार है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : संविधान की अनुसूची ७ की सची १ की मद ८४ के अनुसार सरकार संसद् के सामने ऐसा विधान रखने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं, जिस से कि ऐसी दवाइयों तथा शृंगार के सामान, जिस में स्पिरिट हो, पर उत्पादन शुल्क की एक जैसी दरें निर्धारित की जा सकें। परन्तु संविधान के अनुच्छेद २६८ के अनुसार ये शुल्क भाग 'क' तथा भाग 'ख' राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा उगाहे जाने हैं। इसलिए प्रस्तावित विधान में इसके अनुसार व्यवस्था की जायेगी जिससे कि ये शुल्क ऐसे राज्यों में राज्य सरकारों द्वारा उगाहे जा सकें।

ईथल अलकोहल

३१. **डा० अमीन :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ईथल अलकोहल या रेक्टीफाइड स्पिरिट के अपने पास रखने या औद्योगिक प्रयोजनों के लिए उसके प्रयोग पर केन्द्रीय उत्पादन अधिनियम तथा विभिन्न राज्य सरकारों के उत्पादन अधिनियम लागू होते हैं; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "हां" हो, तो सरकार एक ही वस्तु पर दोहरे नियंत्रण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्यस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : (क) ईथल अलकोहल (९९·५ प्रतिशत) चाहे शुद्ध या डीनेचरर्ड रूप में हो, केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक अधिनियम १९४४ में दी गई परिभाषा के अनुसार "पावर अलकोहल" माना जाता है और इसलिए भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन है।

जिन राज्य सरकारों को अलकोहल के इस शुद्ध रूप से राजस्व प्राप्त हो सकता है, वे इस के अपने पास रखने या

प्रयोग करने, चाहे वह प्रयोग औद्योगिक प्रयोजनों के लिए हो या अन्यथा, पर कड़ा नियंत्रण रखती हैं। इसलिए भारत सरकार ने अलकोहल को शुद्ध रूप अपने पास रखने या उस के प्रयोग पर अपना नियंत्रण नहीं लगाया है।

परन्तु राज्य सरकारों को डिनेचर्ड अलकोहल से बहुत कम राजस्व प्राप्त हो सकता है, इसलिए वे इस के अपने पास रखने या प्रयोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाती हैं। जब इस रूप में शुद्ध ईथल अलकोहल औद्योगिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो इस के अपने पास रखने तथा प्रयोग पर केन्द्रीय उत्पादन अधिकारियों का नियंत्रण रहता है। ऐसे अलकोहल को औद्योगिक कार्यों के लिए प्रयुक्त करने वालों को अलकोहल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (१५ आने प्रति गैलन तथा ५ प्रतिशत अधिभार) नहीं देना पड़ता परन्तु केन्द्रीय उत्पादन अनुज्ञप्तियां लेनी पड़ती हैं और अलकोहल के प्राप्त होने तथा प्रयोग के सम्बन्ध में लेखे रखने पड़ते हैं।

रेक्टीफाइड स्पिरिट (९४-९६ प्रतिशत) जो मोटर गाड़ियों से साधारणतया पेट्रोल के स्थान में काम नहीं आ सकती, उस पर केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक अधिनियम १९४४ के अधीन नियंत्रण नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में अमरीकी नागरिक

३२. **डा० राम सभग सिंह :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित कामों में लगे हुए भारत स्थित अमरीकी नागरिकों की संख्या कितनी है :

(१) अमरीकी सरकार के कर्मचारी

(२) व्यापारी

(३) छात्र

(४) भारत संघ तथा राज्यों की सरकारों के अधीन नौकर अमरीकन

(५) पिछड़े देशों को सहायता देने के कार्यक्रम के अधीन भारत में काम करने वाले अमरीकन ; और

(६) धर्म प्रचारकों का काम ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) :

(१) ३३८ ;

(२) ५३६ (निजी फर्मों के कर्मचारियों सहित) ;

(३) ३१२ ;

(४) ३७ ;

(५) ६५ ; और

(६) २०२२ (जम्मू तथा काश्मीर को छोड़ कर जहां से सूचना मिलने की प्रतीक्षा है)।

बन्दूकें आदि

३३. **पंडित एस० सी० मिश्र :** (क) क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त १९४७ में प्रत्येक राज्य के नागरिकों के पास (विदेशियों को छोड़ कर) कितनी लाइसेंसदार बन्दूकें, पिस्तौल आदि थे और १५ अगस्त १९५२ को उन की संख्या कितनी थी ?

(ख) व्यस्कों की संख्या के अनुपात से ऐसे हथियारों की संख्या कितनी है ?

गृह कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). यह सचना इकट्ठी

की जा रही है और समय आने पर सदन पटल पर रख दी जायगी।

अचल सम्पत्ति पर आय-कर

३४. श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४७-४८, १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में विभिन्न राज्यों में ऐसी अचल सम्पत्ति से कुल कितना किराया मिल सकता था, जिस पर आय-कर लगता था ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री त्यागी) : यह मालूम नहीं कि किराया कितना मिल सकता था परन्तु १९४७-४८ से १९५१-५२ में कुल सम्पत्ति-आय, जिस पर कर लगाया गया यह थी :

	लाख रुपयों में
१९४७-४८	१९,१६
१९४८-४९	२१,४५
१९४९-५०	२२,०९
१९५०-५१	२२,८१
१९५१-५२	३०,२०

शुक्रवार,
७ नवंबर, १९५२

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

शुक्रवार, ७ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई
[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

११-४५ म० पू०

सदन पटल पर रखे गये पत्र

(१) भारत के औद्योगिक वित्त निगम का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन और (२) निगम की आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण

वित्त मन्त्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३५ की उपधारा (३) के अनुसार निम्न पत्रों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं

(१) ३० जून, १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत के औद्योगिक वित्त निगम के कार्य के विषय में निगम के निदेशकों को मंडली का चतुर्थ वार्षिक विवरण ; और

(२) वर्ष के अन्त में निगम की आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण और वर्ष का लाभ-हानि लेखा। [**पुस्तकालय में रखा गया। दखिये सं० ४, ओ. ४ (२९)**]

भारत का रक्षित बैंक (नोट रिफन्ड) नियमावलि, १९३५ के सम्बन्ध में अतिरिक्त नियम संख्या १ क)

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं भारत के रक्षित बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा २८ के अधीन, भारत का रक्षित बैंक (नोट रिफण्ड) नियमावलि, १९३५ के सम्बन्ध में, अतिरिक्त नियम (संख्या १ क) की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं।

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमावलि में कुछ संशोधन करने की अधिसूचना

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं पटल पर २१ अक्तूबर १९५२ की अधिसूचना संख्या १८।३७-५१-एस्ट, रखता हुं जिसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद ३२० के खंड (४) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमावलि में कुछ अग्रेतर संशोधन किया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या पी-६६-५२**]

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन की पेशी

पंडित ठाकुरदास भार्गव (गुड़गांव) : भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ को अग्रेतर संशोधित करने के विधेयक पर प्रवर-समिति का प्रतिवेदन मैं पेश करता हूं।

सम्पत्ति शुल्क विधेयक——जारी

अध्यक्ष महोदय: सदन अब भी श्री सी० डी० देशमुख द्वारा ५ नवम्बर, १९५२ को प्रस्तावित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा जो सम्पत्ति शुल्क विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के विषय में था ।

श्री गाडगिल (पूना केन्द्रीय): कल में कह रहा था कि १९४६ में हम ने हिसाब लगाया था कि इस प्रकार के कर से नौ करोड़ रुपये की आय हो सकेगी । वास्तव में इस विधेयक का वित्तीय पहलू ही महत्वपूर्ण नहीं है वरन् सामाजिक पहलू अधिक महत्वपूर्ण है । हो सकता है इससे २० करोड़ की आय हो जाय, परन्तु निश्चय से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

निश्चय तो कर लगने के कुछ समय बाद ही हो सकेगा । परन्तु इस शुल्क से बहुत कुछ मिल सकेगा क्योंकि सम्पत्ति के अंशधारियों में वितरित होने से पूर्व ही उस पर कर लगा दिया जायगा । ठीक है कि इसमें कुछ असमता होगी क्योंकि धनी एवं निर्धन को एक ही दर पर कर देना होगा, क्योंकि अंश प्राप्त करने वाले की वित्तीय स्थिति पर इसमें विचार नहीं किया गया है । परन्तु नियम बनाते समय तथा वर्ष प्रति वर्ष दरें नियत करते समय इसे ठीक किया जा सकता है । यदि हम उत्तराधिकार कर को स्वीकार करते हैं तो उसमें कर से बचने की संभावना अधिक है, जो कि सम्पत्ति शुल्क में नहीं है । अतः सरकार को इस से अधिकतम लाभ होगा ।

कुछ वक्ताओं ने कहा है कि अधिनियम में ही विमुक्ति की न्यूनतम राशि निश्चित कर दी जाय । परन्तु यह ठीक नहीं है । सदन को प्रति वर्ष इस विषय पर विचार करने का अवसर मिल सकेगा । न्यूनतम के पश्चात् उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दर हो तो और भी अच्छा होगा । इसके अतिरिक्त सार्वजनिक कार्य करने वाली संस्थाओं, पाठशालाओं, महाविद्यालयों, हस्पतालों आदि को विमुक्ति देनी चाहिये ।

छोटे मकानों और ज़मीनों को छोड़ देने का सुझाव दिया गया है । मेरे विचार में भूमि के अधिक टुकड़े हों, ऐसी कोई बात नहीं की जायेगी ।

कई लोगों का यह ख़याल है कि सम्पत्ति शुल्क पूंजी में से दिया जायगा। वास्तव में होता यह है कि अंश या सिक्योरिटियां बेच दी जाती हैं । इस प्रकार कोई उन्हें खरीद लेता है, अर्थात् नई पूंजी के सृजन के स्थान पर पुरानी पूंजी के पोषण परही उसका धन लग जायगा ।

अब यह कर प्रत्यक्ष कर है जो अनर्जित सम्पत्ति पर लगेगा जो बिना कमाये टपक पड़ती है, अतः उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ कर लगाना उचित होगा । इसके अतिरिक्त अधिभार भी लगाना ठीक रहेगा । अधिभार की दर उस व्यक्ति की वित्तीय स्थिति पर निर्भर हो सकती है जिसे धन मिला है या निकट उत्तराधिकारी पर कम तथा दूर के उत्तराधिकारी पर अधिक अधिभार लगाया जा सकता है । इस प्रकार अन्याय को दूर किया जा सकता है ।

अब प्रश्न यह है कि सम्पत्ति तीन पीढ़ियों के बाद समाप्त हो जानी चाहिये । इतना शुल्क लगना चाहिये कि सम्पत्ति का परिमाण इतना कम हो जाय कि उसके स्वामी का समाज पर रौबदाब न रहे तथा शासन न रहे । दूसरा सुझाव यह है कि दिवंगत की सम्पत्ति का लाभ सीमित संख्या में उत्तराधिकारियों को मिलना चाहिये ।

हिन्दू विधि में उत्तराधिकारियों का एक वर्ग वें, यदि उसमें से कोई न हो तो सम्पत्ति राज्य को मिल जानी चाहिये । जो कि शेषाधिकारी हैं । यदि ऐसा किया जाय तो बांधवों और समानोदकों को कुछ नहीं मिलना चाहिये। क्योंकि वे दूर के सम्बन्धी हैं । उन्हें क्यों मिले ? हम सब भी तो समानोदक हैं, क्यों कि हम सभी यमुनाजल पीते हैं, हम सभी बांधव हैं । हमें विधि द्वारा हिन्दू विधि में परिवर्तन कर देना चाहिये, कोई धार्मिक विधि अखंड नहीं है । समाज की प्रगति में धर्म बाधा नहीं बनना चाहिये । धर्म क्या है—"धारयते अनेन" । क्या वे पुराने नियम आज समाज में ठीक हैं ? "धर्म मूलेच राज्यम्" अर्थात् धर्म राज्य का मूल है परन्तु अगला सूत्र है "अर्थ मूलं च धर्मः" । इस प्रकार धर्म भी अर्थ पर ही आधारित है । अतः ऐसा मत समझिये कि उत्तराधिकारियों की संख्या सीमित करने से धर्म पर आघात होगा । धर्म को समाज के हित के सामने झुकना होगा । व्यापारी वर्ग का कहना है कि कर व्यवस्था जांच समिति नियुक्त होनी ही है, अतः हमें उसके प्रतिवेदन आने तक रुक जाना चाहिये । मेरे विचार में वह समिति भी सम्पत्ति शुल्क की सिफारिश करेगी । १९२५ की कर व्यवस्था जांच समिति ने इसकी सिफारिश की थी । अतः हम उस कर को लगाने के लिये वचन बद्ध हैं । अतः मेरा आग्रह है कि व्यापारियों के इस सुझाव पर विचार नहीं करना चाहिये ।

अवसर समानता और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये यह विधेयक अत्यावश्यक है । हमें विरसे में गरीबी मिली है, हम भावी पीढ़ी को यही गरीबी नहीं सौंपना चाहते । ऐसा न हो कि कोई बहुत धनी हो कर मरे । उपनिषदों में लिखा है "त्येन त्यक्तेन भुंजीथा ।" आप चिन्ता क्यों करते हैं । दिवंगत की अन्त्येष्टि के लिये तो व्यवस्था कर ही दी गई है । उसे चन्दन की चिता भी मिल सकती है परन्तु मृतक के पीछे जीवितों के मार्ग में क्यों रोड़ा अटकाया जाये ? धर्म के नाम पर या मृतकों के नाम पर प्रगति को क्यों अवरुद्ध किया जाये ? बेचारे दीन दलित उत्तराधिकारहीन अब तक धैर्य धरते रहे हैं, परन्तु कब तक ? उनसे हमने वायदे किये हैं पर पूरे नहीं किये । बादल गरजते हैं परन्तु चातक के मूंह में एक बूंद भी नहीं पड़ी ।

"गर्जित बधरीकृत कुकुभा ।
कि न कृतं जलदन ?
कियती चातक चंचुपुटि ।
सापि भृता न जलेन ॥

अब हमें चाहिये कि जनसाधारण के जीवन में भी प्रकाश और प्रसन्नता की कुछ किरणें पड़ने दें ; उसे दो टूक भोजन मिलने दें, युगों पश्चात् उसे तन ढांपने का अवसर दें । समता उत्पन्न करें, जिस से ईर्ष्या कम हो कर भ्रातृत्व भावना बढ़े ।

श्री रघुवीर सहाय (ज़िला एटा—उत्तर पूर्व तथा ज़िला बदायूं—पूर्व) : मैं इस विधेयक के तत्व से सर्वथा सहमत हूं परन्तु इस विधेयक के इस समय रखने के लिये कोई प्रबल युक्ति नहीं दी गई है । (**बाबू रामनारायण सिंह** : साधु, साधु) अभी इस विधेयक को सदन में रखने का उपयुक्त समय नहीं है । मैं इसके उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण से सर्वथा सहमत हूं जो ये हैं "सम्पत्ति के वितरण में विद्यमान असमता को कम करना और राज्यों की विकास योजनाओं के लिये वित्त प्राप्त करने में उनकी सहायता करना ।" ये बहुत प्रशंसनीय तथा उच्च उद्देश्य हैं और हम उन्हें जितना शीघ्र पूरा कर सकें उतना ही अच्छा है ।

[श्री रघुवीर सहाय]

वित्त मंत्री ने विधेयक के समर्थन में योजना आयोग का हवाला दिया है परन्तु उस आयोग ने इस शुल्क के विषय में यूं ही ज़रा सी चर्चा की है, वह उसकी गहराई तक नहीं गया है।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि चालीस या अधिक प्रगतिशील देशों में और कुछ पिछड़े देशों में भी सम्पत्ति शुल्क है। परन्तु उनमें से किसी में भी मद्य निषेध नहीं किया गया है, जब कि हम मद्य निषेध के लिये वचन बद्ध हैं।

पहला उद्देश्य यह बताया गया है कि सम्पत्ति की असमता को दूर करना है। यह स्तुत्य उद्देश्य है परन्तु यह किसी ने नहीं बताया कि जिन देशों में ये शुल्क लागू हैं वहां किस हद तक सम्मत्ति की असमता में कमी हुई है। इंगलिस्तान में १८८४ से, अर्थात् ६० वर्ष से सम्पत्ति-शुल्क लागू है परन्तु क्या वहां असमतायें मिट गई हैं? क्या वह अब हम अमीरों के प्रासाद और अकिंचनों की घिनौनी बस्तियां नहीं पाते? यह उच्च आदर्श है। धन का परिग्रह पाप है और हमने राजा महाराजाओं की समाप्ति करके सम्पत्ति की असमता को कम करने की दशा में प्रगति की है। ज़मींदारी तथा जागीरदारी समाप्त करना भी इसी दिशा में है। हमें सम्पत्ति शुल्क जैसा कठोर कदम उठाने से पहले इन के परिणाम को देखना चाहिये था।

हमें जनमत का भी खयाल रखना चाहिये। मेरे विचार में जनमत उत्तरोत्तर बढ़ते हुये करों के विरुद्ध है। हमें देखना चाहिये कि जनता कर भार को कहां तक सहन कर सकती है। हम निर्धन देश के लोग हैं और यहां करों का अधिकांश भार निर्धनों पर ही पड़ता है। अतः हमें देखना चाहिये कि उन पर इस प्रकार का नया कर न आये।

माननीय वित्त मंत्री ने अभी तक यह नहीं बताया है कि शुल्क की दरें क्या होंगी और विमुक्ति का न्यूनतम तथा अधिकतम स्तर क्या होगा। इससे जनता के मन में बहुत चिन्ता है। अतः हमें वित्त मंत्री से आश्वासन मिलना चाहिये कि छोटी सम्पत्तियों को विमुक्त रखा जायेगा। सन् १९४६ में वित्त मंत्री डालटन ने ब्रिटिश लोग सभा में कहा था "साधारण उत्तराधिकार सम्पत्ति तो दिवंगत की विधवा और आश्रितों के लिये होती है। हमें सब के लिये यह सुनिश्चित कर देनी चाहिये।" इतना कह कर उन्होंने छोटी सम्पत्तियों पर सम्पत्ति-शुल्क घटाया था। माननीय सदस्य को उनके विचारों पर मनन करना चाहिये।

मुझे यह भी आशा नहीं है कि इन शुल्कों से कोई बड़ी रकम प्राप्त हो जायेगी। इंगलिस्तान में २५ वर्ष पूर्व कुल करों का केवल १० प्रतिशत सम्पत्ति-शुल्कों से आता था। अब शायद और भी कम होगा। इस सदन के एक विद्वान सदस्य श्री बी० एन० तिवारी ने इस विषय पर नेशनल हेरल्ड में कुछ लेख लिखे थे जिनमें यह अनुमान था कि इस शुल्क से चार से आठ करोड़ तक की आय होगी। श्री गाडगिल ने आज २० करोड़ का अनुमान लगाया है। दोनों में से किसी का अनुमान ठीक मानना कठिन है, परन्तु इससे इतनी अधिक आय नहीं होगी जितनी आशा की जा रही है।

यदि आय आठ नौ करोड़ हुई तो योजना आयोग प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने में प्रान्तों को कितनी सहायता दी जा सकेगी। योजना आयोग की योजनायें लगभग २,००० करोड़ रुपये की हैं, उन में आठ नौ करोड़ तो सागर में एक बूंद के समान ही हैं। और लोगों की भावना भी इसके विरुद्ध है, अतः अधिक कटुता भी उत्पन्न होगी।

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री **त्यागी**) : उनकी भावना क्या है जिनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है ।

श्री रघुवीर सहाय: मुझे उन से पूरी सहानुभूति है, मैं भी उन में से ही हूं ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : मैं इस विधेयक के सिद्धान्तों का समान्य समर्थन करता हूं । हमें विभिन्न दलों वालों को इस पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये ।

मेरे मित्र श्री गाडगिल ने ओजपूर्ण भाषण दिया । जब १९४८ में एसा ही विधेयक संसद् में रखा गया था तब वे सरकार के सदस्य थे और मैं भी था । उस समय इस विधेयक को छोड़ देने का एक कारण यह भी था कि वह शायद हिन्दू विधि के विपरीत हो । मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि इस दृष्टि-कोण पर विचार कर लिया गया है । १९४८ के सम्पत्ति शुल्क विधेयक की प्रवर समिति के प्रारम्भिक प्रतिवेदन में तत्कालीन विधि मंत्री तथा वित्त मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया था । प्रतिवेदन में लिखा था :

> "किसी हिन्दू सह-परिवारी सदस्य की मृत्यु पर कोई शुल्क लगाना मिताक्षर विधि के अधीन संयुक्त-परिवार प्रथा के मूल-तत्व के विपरीत है ।"

हिन्दू परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का सम्पत्ति में भाग होता है और वह भाग परिवार में मृत्युओं से बढ़ता है और नये शिशु-जन्मों से घटता है । अतः ऐसे परिवार के किसी सदस्य पर ऐसा शुल्क कैसे लग सकता है, इस प्रश्न पर हिन्दू संहिता के उत्तरा-धिकार सम्बन्धी एवं संयुक्त परिवार सम्बन्धी उपबन्धों का भी बहुत प्रभाव पड़ेगा । हस्ताक्षर कर्त्ताओं में श्रीमान्, आप भी थे । मेरा यह आशय नहीं है कि हिन्दू संहिता पारित होने से पूर्व इस विधेयक पर विचार न किया जाये, परन्तु इस विधेयक के प्रवर्तन के विषय में यह एक मूल बात है । मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन में जो कठिनाइयां बताई गई हैं वे कैसे दूर होंगी । हमें इस बात को स्पष्ट समझ लेना चाहिये । इस विधयक के पारित होने से यहां स्वर्ग की स्थापना नहीं हो जायेगी । वित्त मंत्री ने कहा है कि यह सामाजिक तथा आर्थिक विधेयक है । इसके सामाजिक तथा आर्थिक दोनों पहलू हैं और मनो-वैज्ञानिक पहलू भी है । देश में एक भावना है कि सरकार आज जो कुछ करती है उसका धनीवर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । समता का भाव और सम्पत्ति के न्यायपूर्ण वितरण का भाव नया नहीं है, यह अब बहुत समय से चल रहा है । सरकार को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये कुछ निश्चित कार्यवाही करनी चाहिये । इस विधेयक का उद्देश्य उस की ही प्राप्ति है, परन्तु केवल नये कर लगाने से ही या देश के फालतू धन को बटोर लेने से ही राष्ट्रव्यापी सुधार नहीं हो जायेगा । वित्त मंत्री ने बताया कि ४४ देशों में ऐसे अधिनियम लागू है । श्री गाडगिल ने कहा है कि अब निजी सम्पत्ति की समाप्ति के कार्य का श्री गणेश हो जायेगा । मैं इस बात को नहीं मानता । जिन देशों में सम्पत्ति शुल्क है वहां भी उस आधार पर सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था नहीं बन पाई है । वहां निजी सम्पत्ति वर्तमान है । परन्तु यदि हम फालतू सम्पत्ति को एकत्र भी कर लें तो वितरण का प्रश्न उठ खड़ा होगा । उससे जनता का स्तर कैसे ऊंचा हो जायेगा और निर्धन वर्ग को क्या लाभ होगा ? चार पांच महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन पर सरकार को विचार करना है । पहली समस्या बेकारी की है । संविधान के निदेशक नीति के अध्याय में हम ने जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करना

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

राज्य का उद्देश्य बनाया है । परन्तु बेकारी बढ़ती ही जाती है । उदाहरण के लिये विनियंत्रण को ही लीजिये । इसका प्रभाव यह होगा कि मेरे प्रान्त में ही लगभग १५,००० लोगों पर कुठाराघात होने वाला है । समस्त भारत में लगभग १००,००० परिवारों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है । खाद्य का उत्तरोत्तर विनियंत्रण अभीष्ट हो सकता है, परन्तु उससे तत्काल दूसरी समस्या उठ खड़ी होती है, बेकारी फैलती है और एक लाख परिवारों अर्थात् पांच लाख व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है । सरकार उन्हें एक दम नौकरी नहीं दे सकती । अतः हमें लोगों को नौकरी देने की प्रत्याभूति देने के लिये कोई योजना बनानी चाहिये या बेकारी बीमा योजना बनानी चाहिये जैसी कि कई देशों में है । इसी प्रकार स्वास्थ्य के विषय में भी कोई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बनानी चाहिये जैसी इंगलिस्तान में है ।

शिक्षा को ही लीजिये । श्री गाडगिल ने अवसर-क्षमता की बात कही है, परन्तु आप जनता को प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा भी निशुल्क नहीं देते तो क्या अवसर-समता हो सकती है । इसी प्रकार जरावस्था निवृत्ति वेतन का ही प्रश्न है । यहां कितने वृद्धजन भूखे मरते हैं । उनकी चिन्ता कौन करता है ? कल और आज लोगों ने इस कर योजना की अच्छाइयां वर्णन की हैं । मैं उन्हें कम नहीं बताता । परन्तु यह नकारात्मक दृष्टिकोण है । सरकार को धन चाहिये, अतः सम्पत्ति शुल्क लगाया जाये । ठीक है । परन्तु हमें सरकार यह भी बताये कि वह व्यापक आर्थिक असन्तोष को दूर करने के लिये क्या कर रही है । वित्त मंत्री योजना आयोग के प्रतिवेदन का हवाला दे देंगे । पर उसके कार्यान्वित होने पर भी जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा ।

संयुक्त परिवार के प्रति निर्देश किया गया है । यह व्यवस्था बहुत प्राचीन है । यह एक सामाजिक पद्धति ही नहीं है, वरन् एक विचारधारा है, हमारे करोड़ों लोगों के विचारों की परिचायक है और वे विचार पीढ़ी दर पीढ़ी चले आये हैं । हम पाश्चात्यों के समान अपने सम्बन्धियों के साथ द्वैत-व्यवहार नहीं कर सकते, उन्हें भिन्न नहीं समझ सकते । हमारे समाज में ऐसी ही पद्धति है । कई लोग अपने दूर के सम्बन्धियों को दस पन्द्रह रुपये मासिक सहायता देते रहते हैं । हिन्दुओं की यही प्रणाली है । यदि हम प्रारम्भ में ही कोई सावधानी नहीं बरतेंगे तो सम्पत्ति शुल्क से इस सामजिक ढांचे में कुछ दरार पड़ने की सम्भावना हो सकती हैं । इसी दृष्टिकोण से मैं कहता हूं कि न्यूनतम को बहुत उच्च स्तर पर निश्चित करना चाहिये । हमें यह नहीं समझना चाहिये कि इस विधेयक का प्रभाव धनियों पर ही पड़ेगा । यदि न्यूनतम कम रखा गया तो निर्धनों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है जैसे कि इंगलिस्तान में २०० पाउण्ड पर भी किसी समय सम्पत्ति शुल्क लागू था ।

क्या हमारा देश धनी है ? यहां केवल आठ लाख व्यक्ति आयकर देते हैं--यह हो सकता है कि बहुत से उससे बच जाते हों ।

श्री सी० डी० देशमुख : नौ लाख ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : ३५ करोड़ में से ९ लाख । यदि आधे बच जाते हैं तब भी १८ लाख हुये । इनमें १० सहस्र से अधिक आय वाले केवल दो लाख के लगभग होंगे । एक लाख से अधिक आय वाले केवल पांच सहस्र होंगे । इनमें समवाय, फर्म आदि भी शामिल हैं । अतः ऐसी बात नहीं है कि बहुत से धनी सम्पन्न व्यक्ति देश में घूम रहे हैं जिन्हें पकड़ कर हम लाखों रुपये निचोड़ लेंगे । ऐसा नहीं है । असमता तो है, कुछ

कुबेर बने हुये हैं और कुछ सर्वथा अकिंचन हैं। परन्तु धनियों की संख्या इतनी नहीं है कि इस प्रकार के कर से अधिक धन मिल सके। अतः वित्त मंत्री को चाहिये कि निम्न-तम जरा उच्चस्तर पर नियत करें जिससे कि गरीबों पर प्रभाव न पड़े। १९४८ के विधेयक में एक लाख रुपये का सुझाव था। अब वे स्वयं सोच समझ कर निश्चित करें चाहे इस विधेयक में करें चाहे वित्त विधेयक में करें।

दूसरी बात, यदि कोई एक या दो मकान अपने पुत्रों, प्रपौत्रों के रहने के लिये छोड़ जाये तथा नकदी कुछ न छोड़े तो उस पर यह कर लगाना उचित न होगा। भानजों भतीजों की बात अलबत्ता अलग है। हिन्दू परिवारों में, शायद मुस्लिम परिवारों में भी किसी के मरने से परिवार में नया वातावरण नहीं आरम्भ होता। पिता का उत्तरदायित्व वंशज संभाल लेते हैं, जब तक राज्य सब के बालकों की शिक्षा आदि का उत्तरदायित्व नहीं संभालता, तब तक एसा ही है। आप इन न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था किये बिना देश की सब सम्पत्ति को ले लेना चाहते हैं। इसका परिणाम सुन्दर नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त सभी भविष्य निधि तथा जीवन बीमे की राशि पर यह शुल्क नहीं लगना चाहिये। हो सकता है कि उत्तराधिकारियों के पास कोई नकद धन न हो। अतः यदि जीवन बीमे के ५० प्रतिशत को शुल्क मुक्त कर दिया जाये तो सभी सम्पत्ति पर शुल्क वसूल करना सरल हो जायेगा।

फिर किश्तों द्वारा भुगतान की वांछ-नीयता पर भी विचार होना चाहिय। यदि किसी के पास नक़दी नहीं है तो क्या सरकार उसकी भूमि खरीद लेगी और अपना शुल्क काट कर उसे शेष कीमत चुका देगी?

फिर दान के विषय में यह प्रस्थापना ह कि दो वर्ष पहले का दान ही विमुक्त होगा। ऐसी समय-सीमा नहीं होनी चाहिये।

श्री त्यागी: फिर तो सभी अपनी सम्पत्ति को मरते समय दान कर देंगे।

डा० एस० पी० मुकर्जी: तो क्या हुआ? यदि कोई सचमुच पूर्त कार्यों के लिये दान करता है तो उसे हम निरुत्साहित क्यों करें? हां, दान के बहाने घर वालों को खैरात बांटने का उद्देश्य हो तो आप उसे रोक सकते हैं। आप सार्वजनिक पूर्त को परिभाषित कर सकते हैं।

श्री त्यागी: आप का आशय केवल पूर्त दानों से है।

डा० एस० पी० मुखर्जी: हां, केवल पूर्त दानों, सार्वजनिक पूर्तों से है, घरेलू पूर्तों से नहीं।

सरकार को स्वभावतः अधिक राजस्व की आवश्यकता है अतः इस स्रोत का आश्रय लिया जा रहा है परन्तु यह आशा नहीं है कि इससे चार, पांच या छः करोड़ से अधिक मिल सके। इससे देश की विविध योजनाओं की पूर्ति नहीं होगी। संविधान में लिखा है कि संसद् यह निर्णय करेगी कि इस राशि को राज्यों में किस प्रकार वितरित किया जाये। वित्त आयाग इस समय आय कर के वितरण के प्रश्न पर विचार कर रहा है, उसे सम्पत्ति-शुल्क का प्रश्न भी सौंपने पर वित्त मंत्री विचार कर सकते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख: वे तो सम्भवतः अपना प्रतिवेदन दे चुके होंगे।

डा० एस० पी० मुखर्जी: वित्त आयोग की अवधि बढ़ा देने से बेकारी की समस्या का भी आप हल कर सकते हैं।

हमें भय है कि यदि कोई निदेशक तत्व नहीं होगा तो राज्य शायद इस राशि का समुचित उपयोग न करे।

श्री त्यागी: सांविधानिक कठिनाई हो सकती है।

डा० एस० पी० मुखर्जी : अन्त में मैं यह कहता हूं कि यदि सरकार सचमुच अधिक राजस्व चाहती है तो उसे दो महत्व-पूर्ण प्रश्नों पर निर्णय करना चाहिये। एक तो नमक-शुल्क पुनः लगाने का प्रश्न है और दूसरा मद्य निषेध का। नमक-शुल्क के साथ पवित्र भावनाओं का संयोग है, परन्तु हमें उस पर व्यवहारिक दृष्टि से विचार करना चाहिये। नमक-शुल्क के विरुद्ध हमने राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष किया था, आज हमें इस राजनैतिक स्वतन्त्रता के साथ साथ आर्थिक स्वतन्त्रता स्थापित करनी है, जिसके लिये हमारे पास धन की कमी है। नमक-शुल्क के हटाने से निर्धन जनता को कोई लाभ नहीं हुआ है, केवल बिचौलियों को लाभ हुआ है। नमक-शुल्क से हमें बारह से पन्द्रह करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं। इसी प्रकार मद्य-निषेध पर भी सरकार को ध्यानपूर्वक तथा तर्कपूर्वक विचार करना चाहिये। मद्य-निषेध से हमें चालीस करोड़ रुपये के लगभग की हानि हुई है जिसमें वह भारी व्यय भी सम्मिलित है जो हमें मद्य-निषेध पर करना पड़ रहा है। आप मद्य-निषेध का पूर्णतः परित्याग चाहे न करें, पर आधा भी कर दें तो २० करोड़ का लाभ हो सकता है। इसमें नमक के १५ करोड़ मिला कर ३५ करोड़ रुपये मिल जाते हैं अर्थात् पंचवर्षीय योजना के लिये १७५ करोड़ रुपये के लगभग मिल सकते हैं। अतः यदि सरकार निर्धन तथा मध्य वर्ग के लोगों को हानि पहुंचाये बिना धन चाहती है तो यही उपाय है, जिसका मैं सरकार को सुझाव देता हूं।

अन्ततोगत्वा मैं वही बात कहता हूं जो मैं ने आरम्भ में कही थी कि सरकार जब ऐसे कर प्रस्ताव रखती है, जिस पर सौभाग्य से मूलतः सदन के सभी पक्ष सहमत हैं, तो उसे यह आश्वासन भी देना चाहिये कि इस धन का प्रयोग जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में और करोड़ों भूखे नंगे लोगों के मूल अभावों की पूर्ति के लिये किया जायेगा।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिये ढाई बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मध्यान्ह भोजन के पश्चात् सदन की बैठक ढाई बजे पुनःसमवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या इस विधेयक पर चर्चा सोमवार तक चलेगी? इस के प्रवर समिति में जाने से पूर्व सभी दृष्टिकोणों को सदन में रखने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इस महत्व-पूर्ण विषय पर चर्चा को कम नहीं करना चाहता, अतः मैं सदन की इच्छा पर चलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सोमवार तक चर्चा होगी तो हो। हम सम्भवतः सोमवार को ही चर्चा समाप्त करेंगे। माननीय मंत्री कदाचित अपने उत्तर के लिये एक घंटा लगायेंगे।

सी० डी० देशमुख: लगभग ४० मिनट।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मुझे वित्त मंत्री को बधाई देनी होगी कि इस विधेयक को उन्होंने पुनः इस सदन में रखा है, क्योंकि हमें सदा यही ख्याल था कि पहला सम्पत्ति-शुल्क विधेयक समाप्त हो गया था। अब इस विधेयक की पुराने विधेयक से तुलना की जाये तो बहुत सारवान परिवर्तन हो गए

हैं। कांग्रेसी सदस्यों ने इसका बहुत आतुरता से समर्थन किया है और वृद्ध सदस्य श्री गाडगिल ने विधेयक पर बहुत प्रेरणाप्रद वक्तृता दी है। परन्तु मुझे यह कहना होगा कि इस विधेयक से चाहे सम्पत्तियों की असमता दूर करने में बहुत हद तक सहायता मिलेगी, तथापि इससे उन करोड़ों लोगों के लिये नवीन आशा का युग नहीं आयेगा जो कि सम्पत्तिहीन हैं, और उन श्रमिकों के लिये भी नहीं, जो कि वुभुक्षित हैं। मैं इस विधेयक को इस लिये महत्वपूर्ण समझता हूं कि इस से हिन्दू समाज की महान् हिमालयी चट्टान पर आघात होगा जिसका बदलना बहुत कठिन है। हिन्दू समाज में परिवर्तन कठिन है, इसी से हमें बहुत सी आर्थिक तथा राजनैतिक एवं सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ मित्र या कुछ राजनैतिक दल इस देश में आर्थिक क्रान्ति के लिये, और समता तथा स्वतन्त्रता के लिये गले फाड़-फाड़ कर चिल्ला रहे हैं। परन्तु मुझे आशंका है कि उस आर्थिक समता से सामाजिक समता भी होगी या नहीं, उससे देश में सामाजिक लोकतन्त्र का प्रभात आयेगा या नहीं ? आर्थिक समताओं का स्पष्ट लक्ष्य सामाजिक समता की ओर होना चाहिये।

डा० मुखर्जी ने संयुक्त परिवार व्यवस्था के विषय में अपनी आशंका प्रकट की है। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। जब उसकी आवश्यकता थी तब पूर्वजों ने उसे बनाया और उससे लाभ भी हुआ। परन्तु अब समय बदल गया है। पाश्चात्य सभ्यता के सम्पर्क में हिन्दू समाज को बदलना चाहिये अन्यथा वह समय से होड़ न कर सकेगा। जब एशिया के अन्य भागों में द्रुतगति से आर्थिक तथा राजनैतिक परिवर्तन हो रहे हैं तब भारत अलग अलग कैसे रह सकता है ? अतः हिन्दू सामाजिक ढांचे को बदलने की दिशा में सरकार का कदम स्तुत्य है, परन्तु उस से सामाजिक लोकतन्त्र के युग का प्रारम्भ भी होना चाहिये। संयुक्त परिवार प्रथा भारत में समाप्त होती जा रही है। कई राज्यों ने उत्तराधिकार आदि के विषय में विधान बना दिये हैं जिनके फलस्वरूप वह प्राचीन प्रथा मिटती जा रही है। उसे पूर्णतः निर्मूल करना एक समस्या है। डा० मुखर्जी को इसी कारण इस विधान से आशंका है। मेरा स्वयं यह विचार है कि भारत में निजी सम्पत्ति तो रहेगी ही। साम्यवादी समाज तक में निजी सम्पत्ति को रखना होगा और उसे पवित्र मानना होगा। परन्तु मानव द्वारा मानव का शोषण जारी नहीं रहना चाहिये। आज तो समाज पूंजीवाद पर आश्रित है जिसे शीघ्रातिशीघ्र मिटाना होगा।

सम्पत्ति शुल्क विधेयक का उद्देश्य तो सीमित ही है कि वित्त मंत्री को कुछ धन चाहिये जिससे कि योजना आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित की जा सकें। परन्तु जनता को आशंका है कि यह योजना आयोग सफल भी होगा या नहीं। वित्त मंत्री ने कहा है कि वित्त आयोग के विनिश्चय के अनुसार ८ अरब रुपया व्यय भी किया जा चुका है। फिर देश में भूख तथा निर्धनता क्यों है ? मेरे राज्य त्रावनकोर-कोचीन म दुर्भिक्ष की स्थिति है, मद्रास, बंगाल आदि में भी यही स्थिति है। परन्तु किसी मंत्रालय को कुछ धन देने से यह समस्या हल नहीं हो सकती। एक सम्पूर्ण योजना आवश्यक है। वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिये। धीरे धीरे काम करने से कुछ नहीं होगा। अब स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् हम कब तक ठहर सकते हैं ? आज मानसिक अशान्ति है।

आज भारत में मनोवैज्ञानिक रूप में स्थिति विस्फोटजनक है। वित्त मंत्री भारत में दुर्भिक्ष तथा निर्धनता की समस्या का

[श्री वैलायुधन]

कैसे समाधान करने जा रहे हैं ? जनता को कांग्रेस सरकार से आशा है । उसे निराश करना भयानक होगा । वित्त मंत्री इस विधेयक से पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करना चाहते हैं । शायद वे २०, २५ करोड़ रुपये की आशा करते होंगे, या ५० करोड़ की ही । परन्तु करोड़ों से भी हमारी समस्या हल नहीं होगी । जब तक भारत में नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की कोई योजना नहीं होगी, तब तक जितना रुपया व्यय किया जायगा वह अरब सागर में फेंकने के बराबर होगा । सरकार ने नई सामाजिक व्यवस्था की कोई योजना नहीं बनाई है । चाहे हमारे यहां पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था हों, पर कोई योजना होनी तो चाहिये । ब्रिटेन की समाजवादी व्यवस्था के समान ही कुछ बनायें । परन्तु वे तो मिश्रित अर्थतन्त्र की बात करते हैं । यह क्या होता है ? कहते हैं अमरीका में मिश्रित अर्थतन्त्र है । परन्तु अमरीका धनी देश है, हम निर्धन हैं, यहां अमरीका के समान साधन सम्पत्ति कहां है । यहां तो वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था से ही लोगों में जोश पैदा हो सकता है और उनसे सहयोग प्राप्त हो सकता है ।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । चाहे इससे भारत की आर्थिक व्यवस्था में कोई महान परिवर्तन न हो परन्तु भारतीय सामाजिक व्यवस्था के मूल पर कुठाराघात अवश्य होगा । इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री बंसल (झज्जर—रिवाड़ी) : इस विषय पर सदन में दो उग्र दृष्टिकोण प्रकट किये गये हैं । श्री गाडगिल के विचार में इस विधेयक के पारित हो जाने से प्रतिष्ठा शक्ति तथा विशेषाधिकार का मार्ग नष्ट हो जायेगा । विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने विपरीत विचार प्रकट किया है कि इस विधेयक के पारित होने से हिन्दू संयुक्त परिवार समाप्त हो जायेगा । सचाई दोनों के मध्यवर्ती है ।

विधेयक के पिछले इतिहास को देखने से पता लगता है कि टाड हन्टर समिति ने यह निष्कर्ष निकाला था कि इस देश में मिताक्षर हिन्दू परिवार प्रथा से इस नकार के विधेयक को कार्यान्वित करने में बहुत बाधा उपस्थित होगी । साइमन आयोग के वित्तीय मंत्रणाकार सर वाल्टर लेटन नें भी इस पर विचार करके यह निष्कर्ष निकाला था कि हिन्दू विधि की कठिनाइयों के कारण इस कर स्रोत को स्थायी नहीं समझना चाहिये । १९३२ में यूटेस पर्सी तथा तत्पश्चात् सर एलन लायड भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था । १९४६ में यह विधेयक विधान-सभा में पेश होकर प्रवर समिति को सौंपा गया । डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन का हवाला दिया है, परन्तु समिति के अगले प्रतिवेदन में यह निष्कर्ष था कि संयुक्त हिन्दू परिवार आदि की कठिनाइयों को पार किया जा सकता है ।

यह इतनी अच्छी चीज़ तो नहीं है, जितनी कि गाडगिल साहब ने यहां बताई है परन्तु, इससे हिन्दू संयुक्त परिवार का निर्मूलन भी नहीं होगा । हमें समय के साथ चलना चाहिये अतः इस प्रकार का विधेयक हमारे यहां होना ही चाहिये । परन्तु मैं वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि उन्हें इसमें एक सीमा अवश्य रखनी चाहिये जिसके नीचे कर नहीं लगेगा । इसके न होने से लोगों में आशंका फैलती है और वे इस बात पर विश्वास नहीं करते कि इसका प्रभाव निम्न तथा मध्यम वर्ग के लोगों पर नहीं पड़ेगा । कर की दरें प्रत्येक वर्ष निश्चित की जा सकती

हैं। कर के बढ़ाने से जनता में सदा आशंका ही फैलती है, और यह तो क्रान्तिकारी विधेयक है, अतः हमें इसमें निम्नतम सीमा अवश्य रखनी चाहिये, चाहे दरें प्रतिवर्ष निश्चित की जायें।

इस विधेयक में एक कमी भी है कि अभी तक कृषि-सम्पत्ति पर कर लगाने के विषय में राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद २५२ के अधीन संकल्प पारित नहीं किये हैं। विक्रय कर के विषय में राज्यों के व्यवहार को देखते हुये उन पर इस विषय में भरोसा करना ठीक नहीं होगा।

श्री सी० डी० देशमुख : वे अपने विधान-मंडलों में संकल्प पारित करने वाले हैं।

श्री बंसल : धन्यवाद। विधेयक में दूसरी कमी विदेशों में जमा की गई सम्पत्ति के विषय में है। केवल अचल सम्पत्ति पर ही कर लगेगा। हाल ही के वर्षों में चोरी से बहुत सी पूंजी भारत से विदेशों को गई है, और यदि यह विधेयक इसी रूप में रहा तो वह पूंजी जो विदेशों में है अचल सम्पत्ति में लगा दी जायेगी। अतः इस कमी को दूर करना चाहिये। इसके अतिरिक्त निवासी तथा प्रवासी की कसौटी जो आयकर विधि में रखी गई है वह ठीक नहीं है। यदि स्थायी प्रव्रजन विधि बना दी जाये तथा नागरिकता अधिकारों की परिभाषा कर दी जाये तो ऐसी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं जिनका मैं ने अभी उल्लेख किया है।

मिताक्षर विधि के विषय में जो कठिनाइयां बताई गई थीं उनका मेरे माननीय मित्र श्री आल्तेकर ने कल योग्यता से उत्तर दिया था। मैं एक दो त्रुटियों की ओर संकेत करना चाहता हूं जो आप ने स्वयं १९४८ में बताई थीं जब कि इस प्रकार का विधेयक सदन के समक्ष था। आपने कहा था कि यदि किसी सम्पत्ति पर कर लगाते समय दिवंगत के बालकों की संख्या पर विचार नहीं किया जाता तो सामाजिक न्याय का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। आपने दो उदाहरण दिये थे, एक तो एक ही बालक के लिये दो लाख रुपया छोड़ने वाले का और दूसरा दस बच्चों के लिये एक लाख रुपया छोड़ने वाले का। उन्हें दस दस हज़ार रुपया मिलेगा परन्तु कर तो फिर भी लगेगा ही। अतः इस से सम्पत्ति के स्वामित्व की विषमता दूर न हो सकेगी। मैं प्रवर समिति को सुझाव देता हूं कि इस पर विचार करे और जहां सम्पत्ति के उत्तराधिकारी एक से अधिक हों, उस स्थिति में कम दर लागू करने का निर्णय करे।

फिर, हिन्दू विधवा के विषय में ऐसा उपबन्ध होना चाहिये कि उसके पति की मृत्यु पर, जो अपने भाइयों के साथ संयुक्त था, विधवा को जो सम्पत्ति मिले, उस पर कर नहीं लगना चाहिये। विधवा की मृत्यु पर जब वह सम्पत्ति वास्तव में किसी को मिले तभी कर लगना चाहिये। इसी प्रकार मुस्लिमों के वक्फ के विषय में हो सकता है।

मृत्यु से दो वर्षों के भीतर दान की गई सम्पत्ति पर कर लगेगा। मेरे विचार में अभी यह अवधि एक वर्ष होनी चाहिये; बाद में बढ़ाई जा सकती है।

मेरे विचार में पूर्त दानों को पूर्णतः विमुक्त कर देना चाहिये। आयकर अधि-नियम के खंड १५ख के अनुसार पूर्त प्रयोजनों के लिये आय को भी कर से विमुक्त किया गया है तो सम्पत्ति को क्यों नहीं किया जा सकता? सरकार पूर्त के विषय में शर्तें रखा सकती है। आयकर के लिये जो पूर्त अभिज्ञात हैं वे ही इस विधेयक के लिये भी अभिज्ञात कर दिये जायें तो ठीक रहेगा।

[श्री बंसल]

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

फिर बीमा पत्रों का प्रश्न है । बीमा-पत्रों को भी विमुक्त कर देना चाहिये । इससे बीमे को प्रोत्साहन मिलेगा और सरकार के पास बीमा-समवायों का अधिक धन भी जमा होगा । इसके अतिरिक्त बीमे के पैसे से शुल्क देने में भी सुविधा रहेगी । अमरीका में बीमा-पत्र करों से मुक्त हैं और संघीय विधि में भी ४०,००० डालर तक विमुक्ति है । इसी प्रकार दुर्घटना-बीमे को विमुक्त कर देना चाहिये जो विमान आदि में चढ़ते समय लोग करवा लेते हैं । फिर जल्दी जल्दी मृत्युयें होने की स्थिति में कुछ उदार उपबन्ध होने चाहियें । अमरीका जापान, चाइल आदि में भी ऐसा है । फिर ऐसे निवासगृहों को विमुक्त कर देना चाहिये जो संयुक्त परिवार के निवास के लिये प्रयुक्त होता हो । हम भवन-निर्माण को प्रोत्साहन भी देना चाहते हैं ।

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : यदि उसका मूल्य ५० लाख रुपये हो तो ?

श्री बंसल : आप सीमा निश्चित कर सकते हैं ।

फिर, कल श्री गाडगिल ने असार्वजनिक समवायों की चर्चा की थी । विधेयक में तो मुझे केवल 'नियंत्रित समवायों' का निर्देश दिखाई देता है जो असार्वजनिक समवायों से सर्वथा भिन्न है । वित्त मंत्री कृपया इसका स्पष्टीकरण करें ।

विधेयक में ऐसा उपबन्ध भी होना चाहिये जिससे कि 'विवशतापूर्ण विक्रय' न हो । यदि नक़द धन न होने पर किसी को शुल्क का भुगतान करने के लिये सम्पत्ति या अंश बेचने पड़ें तो उनका मूल्य पूरा नहीं मिलेगा । इसके लिये प्रवर समिति को कुछ करना चाहिये ।

श्री एम० ए० अय्यगार (तिरुपति) : श्रीमान्, कांग्रेस सरकार ने १९४७ से जो विविध कार्य किये हैं, यह विधेयक उनका स्वाभाविक निष्कर्ष है । हमने राजा-महाराजों को हटा दिया । वे राज्यों में लोकतंत्र के लिये खतरा थे । फिर हमने ज़मींदारों को मिटा दिया । वे भी लोकतन्त्र के लिये खतरा थे । अब अन्य सम्पत्तिधारियों की बारी है । वे सरकार के संरक्षण से ही धन रख पाते हैं, अन्यथा लोग उनसे छीन लें । अतः उन्हें इतना धनी न बनने दिया जाये कि वह दूसरे के धन पर हाथ मार सकें ।

हमारे राज्य में ज़मींदारी समाप्त हो गई है परन्तु रय्यतवाड़ी-पट्टेदार शेष है जो हज़ारों एकड़ भमि के स्वामी हैं । अतः यह विधेयक भूमि-सम्पत्ति पर भी लागू होना चाहिये ।

इस विधेयक से भूमि के टुकड़े टुकड़े कदापि नहीं होंगे । ऐसा तो कई उत्तराधिकारी होने से होता है, सम्पत्ति शुल्क से नहीं ।

मैं ने पहले एक बार यह सुझाव दिया था कि इसे सम्पत्ति-शुल्क विधेयक के स्थान पर उत्तराधिकार-शुल्क विधेयक बना दिया जाये । यदि कोई व्यक्ति पांच लाख रुपये तथा एक पुत्र छोड़ कर मरे और दूसरा व्यक्ति ५ लाख रुपये तथा दस बालक छोड़ कर मरे, तो दूसरी दशा में तो पुत्रों को पचास पचास हज़ार ही मिलेगा । हमें चाहिये कि इस पचास हज़ार पर कर लगायें । हमें संविधान के अनुसार उत्तराधिकार शुल्क लगाने का भी अधिकार है । प्रवर समिति को इस पर विचार करना चाहिये या सम्पत्ति-शुल्क तथा उत्तराधिकार-शुल्क दोनों का मिश्रण कर देना चाहिये ।

इस विधेयक से हिन्दू सयुक्त परिवार का खंडन नहीं होगा । यदि संयुक्त परिवार का कोई सदस्य मरेगा तो उसकी सम्पत्ति को

मृत्यु के समय विभाजित समझा जायेगा। आयकर में ऐसा उपबन्ध न होने से कई परिवारों का बटवारा हो रहा है। एक व्यक्ति को तो आयकर से ३६०० रुपये तक विमुक्ति मिलती है परन्तु संयुक्त परिवारों को ७२०० रुपये तक मिलती है चाहे उसमें पांच सदस्य हों। इसी कारण झूठमूठ के विभाजन किये जाते हैं।

हिन्दू संयुक्त परिवार प्रथा अच्छी चीज़ है जिसको पाश्चात्य लोग भी अपना सकते हैं। वह समाजवादी राज्य का आधार बन सकती है। पश्चिम में लड़के माता पिता की चिन्ता नहीं करते। वहां मां का पुत्र के पास रहना असम्भव समझा जाता है। सास बहू साथ रह ही नहीं सकती। यह तो पशु पद्धति है कि माता पिता तो तीन वर्ष बाद अपने पुत्र-पुत्रियों को पहचानते ही नहीं। संयुक्त परिवार प्रथा में वृद्धों का पालन नवयुवक करते हैं। आज तक भी सरकार सब को काम नहीं दे सक रही है। सरकार का पहला कर्तव्य है कि सब को भोजन या काम दें। रघुवंश में भी लिखा है:

प्रजानां विनयाधानात्
रक्षणात् भरणादपि ।
स एव पितरस्तेषां
केवलं जन्महेतवः ॥

यह पश्चिमी विचारधारा का कल्याणकारी राज्य नहीं है। हमारे पूर्वजों के विचारानुसार राजा पिता ह जो पिता के तीन कार्य करता है—उसे शिक्षा देना, उसकी रक्षा करना और उसका भरण-पोषण करना। केवल प्रतिरक्षा करना ही सरकार का कार्य नहीं है। जो सरकार प्रजा का भरण-पोषण नहीं कर सकती उसे एक दिन भी पदारूढ़ रहने का अधिकार नहीं है। जब पिता के ये तीनों कृत्य सरकार ले लेती है तो जनकों के लिये क्या कार्य बचता है? उनका कार्य केवल बालक का सृजन करना है:

स एव पितरस्तेषां केवलं जन्महेतवः।

सरकार का यह कर्तव्य है और मैं उससे इसके निर्वहन की आशा करता हूं। परन्तु अभी सरकार सब को काम नहीं दे सकती और कार्य के अयोग्य व्यक्तियों का पोषण नहीं कर सकती। क्या फिर हम उस प्रथा को नष्ट करेंगे जिससे वयस्क जन कार्य करके वृद्धों तथा बालकों का पालन करते हैं।

मेरी वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि वे छोटे संयुक्त परिवारों के विषय में, जिन में मध्यवर्ग के लोग हों, इस विधेयक को लागू करने में सावधानी बरतें।

न्यूनतम सीमा भी विधेयक में रखना अच्छा रहेगा क्योंकि नया विधेयक होंने से लोग इससे भय भीत हैं। पांच वर्ष पश्चात् उस सीमा को हटाया जा सकता है, और प्रति वर्ष निश्चित किया जा सकता है।

यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी सम्पत्ति पर कर लगा दिया जाता है। उसे अपने बालकों के लिये ो व्यवस्था करनी है। सरकार लोंगों की पालने से ही चिन्ता नहीं करती। यदि किसी व्यक्ति की ९० प्रतिशत सम्पत्ति छीन ली जायगी तो उसके बच्चों का क्या होगा? अभी ऐसा समय आने में बहुत देर लगेगी जब कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति के पिता के समान बन कर उसका पालने से लेकर चिता तक पालन करेगी।

इससे संयुक्त परिवार प्रथा तो कदापि भंग नहीं होगी। दिवंगत सदस्य के अंश को प्रथक मान कर शुल्क लिया जायगा, आयकर के समान समूचे पर नहीं। परन्तु एक लाख की न्यूनतम सीमा रखनी चाहिये, जिससे कि बच्चों का पोषण हो सके।

[श्री एम० ए० अय्यंगर]

संपत्ति के विक्रय या दान के विषय में कुछ मित्रों में कुछ बातें कहीं हैं। यदि पहले सम्पत्ति बेच दी जाये तो इस विधेयक से लाभ ही क्या है? विक्रय तो मृत्यु से पूर्व हो सकता है, परन्तु संपत्ति-शुल्क के विषय में उसे मान्यता नहीं होगी।

कुछ मित्रों ने पूर्त के विषय में विमुक्ति की बात कही है। धनी लोगों के दान भी भयानक होते हैं। पहले तो पूर्त का अर्थ 'कृष्णार्पणम्' था परन्तु अब तो प्रकारान्तर से प्रच्छन्न रूप में पत्नि तथा सन्तान के लिये पूर्त दान होता है। मुझे गाडोदिया पूर्त का ध्यान आता है। कोई दान करता है तो करे, परन्तु मृत्यु के समय ही क्यों करता है? अतः दो वर्ष की कालावधि को एक वर्ष करने का प्रभाव तो यही होगा कि यह विधेयक कागज़ पर ही रह जायेगा, प्रभावी नहीं बनेगा।

एक मित्र ने कहा था कि यह विधेयक स्त्री धन पर लागू नहीं होना चाहिये। परन्तु १९३७ के अधिनियम से स्त्रियों को पति की सम्पत्ति में अंश मिलता है और प्रायः ऐसा ही विचार है कि उस अंश पर उसका पूर्ण स्वामित्व होता है। वह स्त्री-धन बन जाता है और पुत्री को स्त्री होने के नाते ही दस लाख रुपये मिल जाते हैं। वे पुरुषों के बराबर अधिकार चाहती हैं। आप अंतर क्यों करना चाहते हैं? मुझे तो आश्चर्य होता है। अन्य देशों में सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये हत्याएं होती हैं। हमारे यहां एक राजा ने २१ वर्ष के पुत्र का पटाभिषेक करके स्वयं बनवास का मार्ग लिया। फिर उस पुत्र को पिता की मृत्यु तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। पुत्र को जन्म से ही अन्य लोगों के साथ अंश मिल जाता है। पश्चिम में पिता के होते हुए सम्पत्ति नहीं मिल सकती। अतः पितृ हत्या करने का प्रलोभन रहता है। यह सम्पत्ति-शुल्क हमारे लिये नई चीज़ नहीं है। मनुस्मृति के अनुसार "ब्राह्मण के पास दो मन से अधिक नहीं होना चाहिये, क्षत्रिय के पास छः मन और वैश्य के पास नौ मन से अधिक नहीं होना चाहिये।" धन किसी एक वर्ग के लोगों का एकाधिपत्य नहीं बन जाना चाहिये। हमारे वित्त मंत्री संस्कृत में पारंगत हैं और हमारी संस्कृति के अनुसार कार्य करते हैं। हमें अपनी संस्कृति पर शर्म क्यों है। मेरे तिलक लगाने पर लोग बातें करते हैं। स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात् भी यह हीन-भावना क्यों? हमारी संस्कृति यह है कि रामचन्द्र जी के एक सूर्यवंशी पूर्वज के समय में इस बात पर झगड़ा हुआ था कि कोई अधिक देना चाहता था और दूसरा कम लेना चाहता था। किसी शिष्य को चौदह शास्त्र पढ़ाने पर गुरु ने उससे गुरु दक्षिणा के रूप में चौदह करोड़ मुहरें मांगी थी। वह राजा के पास गया तो राजा ने सोने की रकाबी में पान सुपारी पुष्पों से उसका स्वागत किया और बहुत सा धन दिया। शिष्य ने १४ करोड़ गिन कर शेष छोड़ दिया, परन्तु राजा ने दान किया हुआ धन वापिस नहीं लेना चाहा। हमारी यह संस्कृति है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति को भोजन-वस्त्र नहीं मिलेगा तब तक मुझे संतोष नहीं है। हमें अपनी संस्कृति को छोड़ कर अंग्रेजी संस्कृति का अनुकरण नहीं करना चाहिये। हमें मधुमक्षिका के समान मधु प्राप्त करना चाहिये परन्तु पुष्प को मुरझाने न देना चाहिये; श्री त्यागी ने प्रायः ऐसा किया भी है।

श्री कर्णी सिंह जी (बीकाने चूरू): मैं इस बात से सर्वथा सहमत हूं, जो अनेक सदस्यों ने कही है कि हिन्दू संहिता विधेयक से और संपत्ति शुल्क विधेयक से हमारी संस्कृति पर आघात होगा। मुझे सिद्धान्ततः इस पर कोई विरोध नहीं है।

अभी तक यहां जितने भाषण हुए हैं उनमें से किसी को अनुभव नहीं है कि इस विधेयक की मार कैसी होती है। मेरे पिता दो वर्ष पूर्व फ्रांस में एक मकान छोड़ कर मरे थे। मुझे अभी तक वह नहीं मिला है और दो वर्ष तक मिलने की आशा भी नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि इस विधेयक का जिन नौ लाख व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ने वाला है उनकी भी ऐसी हालत हो? जीवन की जटिल समस्याओं को और भी उलझाना क्या बुद्धिमत्ता है?

इस विधेयक के दो उद्देश्य हैं। एक तो वित्त प्राप्त करना, दूसरा धन का सम-वितरण करना। पहला उद्देश्य तो सरकारी व्यय में कमी करने से पूरा हो सकता है। करोड़ों रुपया नाली में बहाया जा रहा है, उसे रोकिये।

सम्पत्ति के सम-वितरण के प्रश्न पर हम एक मत हैं कि निर्धनता दूर करनी है। परन्तु धनियों को निर्धन बनाने से लाभ नहीं होगा, निर्धनों को धनी बनाना अपेक्षित है। हमें प्रयत्न करना चाहिये कि अमरीका के समान प्रत्येक व्यक्ति कार पर चल सके, यह नहीं करना चाहिये कि हमारे मंत्री भी तांगे में आने लगें।

यदि देश यह निश्चय करता है कि मृत्यु-शुल्क आवश्यक हैं तो भी हमें जल्द बाजी नहीं करनी चाहिये। ठीक है, इसे छः वर्ष हो चले हैं परन्तु ऐसे विधेयक पर बीस वर्ष लगने चाहिये।

एक बात यह है कि नये कार्य से अधिकाधिक भ्रष्टाचार बढ़ता है, इससे भी यही खतरा है।

उपाध्यक्ष ने राजा महाराजों के प्रति निर्देश किया है। मैं यहां जनसाधारण के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हूं।

सरदार पटेल ने कहा था कि "मैं राजाओं, पूंजीपतियों आदि को बिना प्रयोजन गाली देकर नेतागिरी प्राप्त करने के फेशन का नहीं अपनाता।" मैं तीन वर्ष पहले कांग्रेस जन था, आज नहीं हूं। कल की भगवान ही जानता है। परन्तु मैं कांग्रेस के त्याग-बलिदान को स्वीकार करता हूं।

हमें इन सब बातों पर विचार करके ही इस विधेयक को अंतिम रूप देना चाहिये। परन्तु शनैः शनैः आगे बढ़ना श्रेयस्कर है। हमें चलना सीखने से पहिले ही भागने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये।

श्री एम० बी० वैश्य (अहमदाबाद-रक्षित-अनुसचित जातियां): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस मृत्यु कर के बारे में कुछ थोड़ी सी बातें इस हाउस के सामने कहनी हैं। मैं कल से हमारे विद्वान मित्रों की बातें सुन रहा था। हर एक ने अपने अपने ढंग से बहुत सी बातें यहां सुनाई हैं। कुछ दिन हुए मैं अपनी कांस्टीट्युऐंसी में घूम रहा था और जहां जहां मैं गया वहां हमारी कांग्रेस के नाम पर थोड़ी सी बातें मुझे सुननी पड़ीं। जब मैंनें इस बिल की बात यहां पार्लियामेंट में सुनी तो मुझे यह लगा कि अब थोड़ी सी और अधिक बातें हम को सुननी पड़ेंगी। यह तो स्पष्ट है कि जिनके पास पूंजी ज्यादा है उन को अधिक से अधिक पूंजी इस देश के हित के लिए देनी पड़ेगी और जो गरीब हैं और जो बड़ी मुसीबत से अपना गुजारा करते हैं उन पर यह कर नहीं लगेगा। लोग कहते हैं कि एक दफा अगर यह मृत्यु कर की बात शुरू होगई तो पता नहीं यह कहां जाकर ठहरेगी। इस की भी लोगों को चिन्ता है। गत साल से जब से मैं यहां आया हूं देखता हूं कि जो हमारे वित्त मंत्री और जिनका नाम चिन्ता मणि देशमुख है वह हर वक्त चिन्ता में रहते हैं। मै देखता हूं कि और मंत्री तो

[श्री ऐम० बी० वैश्य]

कुछ मुस्कराते भी हैं लेकिन यह तो चिन्ता में ही लगे रहते हैं । जब मने यह सोचा कि यह चिन्ता मे क्यों रहते हैं तो मुझे एक काजी की छोटी सी बात याद आई । उस काजी से पूछा गया कि क़ाजी जी आप क्यों ऐसे उदास रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या करें, सारे गांव की चिन्ता है । वैसे तो हमारे वित्त मंत्री जी को भी सारे देश की फ़िक्र लगी हुई है और इस कारण जब जब भी वह बोलते हैं तो "पैसा लाओ" इस के सिवा कुछ नहीं कहते । वह हमेंशा पैसे की ही बात करते हैं । और जब पैसा लाओ यह बात होती है तो लोगों को भी यह लगता है कि कितने पैसे दें । हम जीवन भर तो देते हैं, अब मृत्यु के बाद भी इन्होंने लेने की बात शुरू कर दी है कि मरने के बाद भी तुम को देना पड़ेगा ।

यह बात लोगों के लिये बड़ी मुश्किल की बात हो जायगी, लेकिन हमारे वित्त मंत्री जी क्यों श्याम दिखाई पड़ते हैं, बादल जब समुद्र के पास जल याचना के लिये जाता है तो वह घनश्याम हो जाता है, उस का मुंह थोड़ा सा गीला हो जाता है और इस तरह सवह बादल समुद्र के पास से पानी लेकर सारे जहान पर पानी बरसाता है और ज़मीन को हरा भरा करता है । उसी प्रकार जो यह कर मांगा जा रहा है, वही इसी उद्देश्य से मांगा जा रहा है कि धनिकों से रुपया लेकर देशहित में सरकार उसे खर्च करेगी । यह ठीक कि धनिकों की तादाद हमारे देश में बहुत कम है, लेकिन उनके पास धन बहत काफी है और हमारे धनिक भाई पुराने ज़माने में बड़े प्रेम से दान किया करते थे, लेकिन यह पश्चिमी सभ्यता की बलिहारी है कि जब से यह हमारे देश मे आई, तब से दान देना वगैरह सा बन्द हो गया । गवर्नमेंट जो हमारी ट्रस्टी है उसको यह ख़्याल आया कि अगर वह जीवन में दान नहीं देते तो कम से कम आखिरी समय पर तो उन से कुछ रुपया निकलवाही लें और वह धन सरकार द्वारा लोंगो को समान स्थिति में रखने, उद्योग धन्धों आदि का विस्तार करने, अनाज आदि की स्थिति को सुधारने में, और बड़ी बड़ी कम्युनिटी प्राजैक्टस (समुदायिक योजनाओं) में लगाया जाय, यह अति आवश्यक और वांछनीय है कि इस प्रकार एकत्र किया हुआ पैसा अच्छे अच्छे कमों मे लगाया जाये और हमें आशा है कि ऐसा अवश्य होगा । लेकिन जिस तरह सरकार का खर्चा चलता है, उस से कुछ हैरानी होतो है और कुछ समझ में नहीं आता कि किस तरह काम चलेगा । लोग कहते हैं कि यह खात खुल गया है और खाता खुलते ही बड़े बड़े अफसर मौज उड़ाते हैं और अन्धाधुन्ध खर्चा होता है, लेकिन जब छंटनी करने की बादत आती है और खर्च कम करना होता है तो हाथी का मण लेने की अपेक्षा कीड़ी समान चपरासी और छोटे छोटे क्लर्कस् आदि ही खत्म किये जाते हैं और मोटी तनख्वाह वाले अफसरान सरकार में बने रहते हैं और उन पर कोई छटनी का असर नहीं पड़ता। अफसर जो हाथी समान हैं और जिन को मण मिलता है, उनसे मण नहीं लिया जाता । लेकिन इस सब के होते हुए भी मैं काग्रेस गवर्नमेंट को इस प्रकार का बिल लाने के लिए बधाई देता हूं और यह कर देश हित के वास्ते लगाया जा रहा है । हमारा देश जो भारत वर्ष कहा जाता था, उसमें ३३ करोड़ देवता निवास करते थे, और अब तो हम विभाजन के बाद ३६ करोड़ हो गये हैं, लेकिन वास्तव में हम आज वह देवता नहीं रह गये । भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे देश के रहने वाले निवासी पहले के समान देवता बनें । इस के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट भी उस के अनुरूप बने । केवल गवर्नमेंट पर ही भरोसा

कर के बैठ रहना कि वह उद्धार करे, उचित नहीं है, हर एक भाई को अपना पुरुषार्थ करना चाहिये और इस के लिये जितना हो सके कोशिश करना चाहिये। यह सोच कर बैठ रहना कि हमारा देश तो धनकुबेर है, सब ठीक हो जायेगा बहुत बड़ी गलती होगी।

इस बिल में एक बात बहुत आवश्यक है और उसी की तरफ ध्यान दिलाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जब लोग यह पढ़ेंगे कि यह तो मृत्यु पर भी कर लगाया जा रहा है, और मरना सब को ही है, तो गरीब और सामान्य स्थिति वाले लोग इसके लिये सरकार को गालियां देना शुरू कर देंगे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

हमारे वित्त मंत्री ने अभी तक यह तो निश्चित किया नहीं है कि इतनी प्रौपरटी (सम्पित्ति) वालों पर यह टैक्स लगेगा, उस से नीचे पर नहीं लगेगा। तो ऐसी हालत में हमारे देश के ८० फी सदी लोग जो देहातों में रहते हैं और जिनकी जीविका खेती बाड़ी पर निर्भर है, और लैंड लेस लेबरेंस (भूमि हीन श्रमिक) हैं, उन के मन में भी यह बात खटकेगी कि क्या मालूम हम पर भी यह कर न लग जाय और जैसी कि हमारी गुजराती में कहावत है कि सरकार चाहे तो सिर के बीच में रस्ता कर सकती है और वह डरते हैं कि शायद हमारे भी सिर के बीच में सरकार रास्ता न बना दे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे वित्त मंत्री जी और त्यागी जी उनके साथी हैं जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से गत साल करोंड़ो रुपया छुपा हुआ निकलवाया और अब तो उन दोनो को गुजरात के एक अनुभवी बनिये भाई का भी सहयोग प्राप्त हो गया है और वह भी उनके साथ हैं, यह त्रिमूर्ति ब्रम्हा, विष्णु, महेश की हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिये प्रयत्न करें और हम लोग भी इस देश की उन्नति करने के लिए और आगे बढ़ने के लिये जितना भी सहयोग दे सकें, अवश्य दें, और मेरी प्रार्थना है कि भगवान हम सब को सद्बुद्धि दे। अभी हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने हमको बताया कि दूसरे देशों में वहां के निवासी किस तरह अपने देश के लिए अभिमान का भाव रखते हैं। हमारे देश के पर्वत ऐसे हैं, नदियां ऐसी हैं और हमारे देश के लोग ऐसे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे यहां वह चीज नहीं है, जब हमारा देश गुलाम था और अंग्रेजों के अधीन था, तब तो हम सब भारत वासी कन्धे से कन्धा लगाकर लड़े जिये और मरे लेकिन अब आजादी आ जाने के बाद हम में वह संगठन और एका दिखाई नहीं पड़ता, सब अलग अलग दिशाओं मे जा रहें हैं। एक वृद्ध पुरुष ने यह पूछे जाने पर कि देश में कितनी इज्मस् (वाद) हैं। मुझे बतलाया कि भाई और कोई वाद नहीं है, सिर्फ एक स्वार्थवाद हमारे देश में विद्यमान है। इसके अलावा और कोई वाद हमारे देश में नहीं है। यह स्वार्थवाद पहले हम भारत-वासियों में नाम मात्र को भी नहीं था। अगर यह स्वार्थवाद हम में से, हमारे जो गवर्नमेंट अफसर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके अन्दर से हट जाये तो यह भारतवर्ष फिर पहले जमाने का भारत हो जाये जहां कि लोग दूर दूर से विद्या अध्ययन आदि के लिये आते थे, और फिर वह अपनी खोई हुई महिमा प्राप्त करले, तो सफलता हमारी है लेकिन इस के लिये क्या बड़े और क्या छोटे सब को प्रयत्नशील होना पड़ेगा। उसी भावना के साथ देश के सब लोगों को काम करना होगा जैसा कि अभी हमारे एक महाराजा साहब ने कहा कि वह कुछ दिन हुए महाराजा थे लेकिन अब सब के साथ हो गये, उसी भावना के साथ जिस को लेकर हमने आजादी की लड़ाई लड़ी इस देश की उन्नति में सब लग

[श्री एम० बी० वैश्य]

जायें, तो निश्चित है कि हमारा देश उन्नतिशील होगा। वित्त मंत्री जी जो यह स्टेट-ड्यूटी बिल (संपत्ति शुल्क विधेयक) लाये हैं, मैं उसका हार्दिक समर्थन करता हूं। इस मनुष्य के अवतार में हम कुछ नहीं कर पाये, तो फिर किस जिन्दगी में हम कुछ कर पायेंगे। एक गुजराती कवि ने इस संबन्ध में ठीक ही कहा है :

मरु पर मागु नहीं अपने स्वार्थ काज,
परमारथ के कारणे मागु मूकी लाज।

लिहाजा देश उद्धार के लिए अगर यह बिल वित्त मंत्री जी ला रहे हैं तो इस में मांगनें से कोई लज्जा की बात नहीं है। चाहे इस के विरुद्ध कितनी ही टीका टिप्पणियां क्यों न हों, जब यह कर देश के हित के लिये लगाया जा रहा है तो यह उचित है कि हम सब मिल कर काम करें और उसके साथ साथ अपने जो मुख्तलिफ इज्मस् और वाद हैं उन को देश के हित का ख्याल रखते हुये दूर रक्खें और सब इस देश की भलाई के काम में लग जायें। आपने मुझे जो समय दिया उस के लिये मैं आप का बड़ी आभारी हूं।

श्री एस० एस० मोरे : मैं कांग्रेस सरकार को इस विधेयक के पुरःस्थापित करने पर हार्दिक बधाई देता हूं। कांग्रेस ने कराची संकल्प की प्रस्तावना के द्वारा यह वचन दिया था कि राजनैतिक स्वतंत्रता परिपक्व होकर आर्थिक स्वतंत्रता बन जायेगी। उस वचन को पूरा करने का यह विलम्बित तथा अधकचरा प्रयास है। १९४८ के इसी प्रकार के विधेयक को कार्याधिक्य के बहाने व्ययगत होने दिया गया था। मुझे आशंका है कि कार्याधिक्य तो बहाना ही था, वास्तव में न्यस्त स्वार्थों का दबाव था। अतः अब भी यह आशंका हो सकती है कि इस विधेयक की वही गति न हो। फिर भी मुझे आशा होती है कि धनाभाव के कारण अब वित्त मंत्री इसे पारित करवा कर ही छोड़ेंगे।

जब यह विधेयक पारित हो जायगा, तब धनी व्यक्ति इसे उच्चतम न्यायालय में अवश्य चुनौती देंगे। अतः वित्त मंत्री को इसकी वैधता पर पूर्णतः विचार कर लेना चाहिये। यदि कोई विधि सम्बन्धी भूल चूक रह गई हो तो उसे शीघ्रातिशीघ्र दूर कर लेना चाहिये।

मैं वित्त मंत्री से पहला प्रश्न यह पूछना चाहता हूं "क्या यह शुल्क राजा महाराजों की सम्पत्ति पर लागू होगा, तथाकथित भूतपूर्व शासकों की सम्पत्ति पर?" अनुच्छेद ३६६ (२२) में 'शासक' की परिभाषा दी गई है, और उसे निजी थैली के रूप में निश्चित राशि दी गई है। उस शासक के पास दो प्रकार की सम्पत्तियां हैं—एक तो निजी थैली और दूसरी वह सम्पत्ति जो उस राज्य विशेष के नरेश के रूप में उसके पास थी। इस निजी सम्पत्ति का क्या होगा? निजी थैलियों के विषय में तो मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान अनुच्छेद २९१ और ३६२ की ओर आकृष्ट करता हूं। अनुच्छेद ३६२ में लिखा है :

> "संसद की या किसी राज्य के विधान-मंडल की विधि बनाने की शक्ति के प्रयोग में, अथवा संघ या किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में, देशी राज्य के शासक के वैयक्तिक अधिकारों विशेषाधिकारों और गरिमा के विषय में ऐसी प्रसंविदा या करार के अधीन, जैसा कि अनुच्छेद २९१ के खंड (१) में निर्दिष्ट है दी गई प्रत्याभूति या आश्वासन का सम्यक् ध्यान रखा जायेगा।"

अनुच्छेद २९१ (१) में लिखा है :

"इस संविधान के प्रारम्भ से पहिले जहां किसी देशी राज्य के शासक द्वारा की गई प्रसंविदा या करार के अधीन ऐसे राज्य के शासक को निजी थैली के रूप में किन्ही राशियों की कर मुक्त देनगी भारत डोमीनियन की सरकार द्वारा प्रत्याभूत या आश्वासित की गई है वहां—

(क) वैसी राशियां भारत की संचित निधि पर भारत होंगी तथा उस में से दी जायेंगी; तथा

(ख) किसी शासक को दी गई वैसी राशियां, सभी आय पर करों से विमुक्त होंगी ।"

श्री महावीर त्यागी : यह तो केवल आय पर कर के विषय में ही है ।

श्री एस० एस० मोरे : मुझे उधर की ओर से इसी तरह की आशा थी, परन्तु आप को सोचना है कि यह विधि रूप में वैध होगा या नहीं। संविधान में शब्द ये हैं "सभी आय पर करों से विमुक्त होगी ।" श्री त्यागी कहेंगे कि यह संपत्ति-शुल्क है अतः यह आय पर कर नहीं है अपितु पूंजी पर कर है । परन्तु आपको विविध प्रसंविदाओं और करारों को भी देखना होगा । देशी राज्यों सम्बन्धी श्वेत पत्र के पृष्ठ १२५ में सरदार पटेल की वक्तृता दी हुई है, और कंडिका २३९ में लिखा है :

"विलय की प्रसंविदाओं और करारों के निबंधनों के अतर्गत, शासकों की निजी थैलियां सभी करों से मुक्त होंगी ।"

वहां 'आय पर करों' नहीं परन्तु 'सभी करों' का प्रयोग हुआ है । निजी थैलियों की राशियां मोटी मोटी हैं जो वर्तमान शासक के उत्तराधिकारी को दायभाग में मिलेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : निजी थैलियों का दायभाग कैसा ? वह तो निवृत्ति वेतन के समान है जो दूसरे को भी दिया जायेगा । वह ऐसी सम्पत्ति नहीं है जो किसी की मृत्यु पर दूसरे को उत्तराधिकार में मिले ।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, मेरा विचार आप से भिन्न हो सकता है । निजी थैलिया लघुकरण के समान है ; नकद रूप में बडी राशि न देकर वार्षिकी के समान रूप दे दिया गया है । सम्पत्ति शुल्क विधेयक के खंड ६ के अनुसार वार्षिकी को सम्पत्ति मानना होगा । मेरा विचार शत प्रतिशत ठीक है, ऐसा मैं नहीं कहता, परन्तु हो सकता है कि निजी थैलियां सभी करों से विमुक्त हैं । प्रवर समिति को इस पर विचार कर लेना चाहिये जिस से कोई विधि-सम्बन्धी कमी न रह जाये ।

संविदाओं तथा करारों के अनुसार नरेशों को निजी सम्पत्तियों के उपभोग का अधिकार दिया गया है । उनकी क्या स्थिति होगी ? क्या वह भी विमुक्त हैं ? विलय से पूर्व वे अपने राज्यों में सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न थे । यदि वह प्रभुता अब भी जारी रहेगी तो उनकी निजी सम्पत्ति पर कोई राज्य भी कर नहीं लगा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : अनुच्छेद ३६२ शब्द हैं 'सम्यक ध्यान रखा जायेगा' । इन शब्दों के निर्वचन का ही प्रश्न है । यदि संसद् इन चीज़ों की उपेक्षा कर दे, तो क्या माननीय सदस्य का यह आशय है कि उस मात्रा तक संसदीय विधान शून्य होगा ?

श्री एस० एस० मोरे : मैं नहीं कह सकता कि उच्चतम न्यायालय क्या निर्णय करेगा, परन्तु भिन्न भिन्न विनिश्चयों की धारा को देखते हुए, ऐसा ख्याल होता है, कि यदि संसद् अनुच्छेद ३६२ के प्रभाव को ध्यान में न रखते हुए कोई विधान पारित करती है तो हो सकता है कि उच्चतम न्यायालय अथवा

[श्री एस० एस० मोरे]

न्यायाधीश कुछ और निष्कर्ष पर पहुंच जाय और उस विधान विशेष को अवैध विधान समझा जाये। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री तथा प्रवर समिति से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस विधि सम्बन्धी पहलू पर विचार अवश्य करना चाहिये कि इन प्रत्याभूतियों का क्या प्रभाव है ?

एक और भी विधि-सम्बन्धी कठिनाई है। वित्त मंत्री ने कहा था कि अनुसूची में उल्लिखित कुछ राज्यों ने अनुच्छेद २५२ के अंतर्गत संकल्प पारित कर दिये हैं। ऐसा क्यों ? सूची १ की मद ८७ में संघ सरकार को 'कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के बारे में सम्पत्ति-शुल्क' लगाने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद २६९ में लिखा है "निम्नलिखित शुल्क और कर भारत सरकार द्वारा आरोपित और संगृहीत किये जायेंगे परन्तु राज्यों को खंड (२) में उपबन्धित रीति से सौंप दिये जायेंगे। और उसके उप-खंड (ख) में लिखा है " कृषि-भूमि से अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार विधेयक शुल्क"। मुझे आश्चर्य है कि इस में से हमें क्या मिलेगा। हम शुल्क आरोपित करेंगे, संगृहीत करेंगे और फिर बांट देंगे। हमें अपनी विकास योजनाओं के लिये फिर कहां से धन मिलेगा ? संघ सरकार तो केवल संग्रहण करने वाला अभिकर्ता मात्र है।

श्री **सी० डी० देशमुख** : विनियामक अभिकर्ता।

श्री **एस० एस० मोरे** : यदि कोई प्रांतीय सरकारें व्यर्थ योजनाएं बनाती हैं और धन बरबाद करती हैं तो आप इस सम्पत्ति-शुल्क को भी उसे ही सौंप देते हैं, जिस से कि वह और भी धन बरबाद कर सके। यदि आप उनका विनियमन करना चाहते हैं तो उन्हें कहिये कि आप वास्तव में विनियमन करेंगे, चाहे प्रान्तीय मंत्री कुछ कहें। कुछ प्रांन्तीय मंत्री धमकी देते रहे हैं कि मद्य-निषेध बन्द किया जायेगा तो वे पदत्याग कर देंगे। वे जाते हैं तो जाने दीजिये, यदि विविध योजनाओं के लिये आय आवश्यक है।

मैं श्री गाडगिल से सहमत हूं कि शक्ति और प्रतिष्ठा आदि का द्वार शीघ्रातिशीघ्र गिर जाना चाहिये। इसके लिये अधिक क्रांतिकारी विधेयक की आवश्यकता थी। परन्तु अभिसारी निजी सम्पत्ति को समापत करना कठिन है। निजी सम्पत्ति के बिना दायभाग नहीं रह सकता, परन्तु दायभाग के बिना भी निजी सम्पत्ति रह सकती है। हमारे ऋषियों मनु तथा याज्ञवल्क को यह पता था अतः उन्हों ने सम्पत्ति में 'सीमित अधिकार' का सृजन किया। विधवा की मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति उत्तरभोगी को प्रत्यावर्तित हो जाती है। इसी प्रकार होना चाहिये कि सम्पत्ति पर सीमित अधिकार रहे और वह मृत्यु के पश्चात उत्तरभोगी को मिल जाये, अर्थात मेरे मित्र श्री सी० डी० देशमुख को संघ-सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मिल जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका प्रकारान्तर से यह अर्थ है कि सम्पत्ति शुल्क सौ प्रतिशत होना चाहिये। बस उन्हें 'विधवा' भी क्यों बनाते हैं उनकी सम्पत्ति छिन जाना ही पर्याप्त है।

श्री **एस० एस० मोरे** : हम विधवाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते रहे हैं, अब यदि हमें भी वैसा ही जीवन बिताना पड़ेगा तो पता लगेगा। (हंसी)

मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं। सिद्धान्त पर भी और मुख्य मुख्य बातों में भी। केवल यही चाहता हूं कि मैं ने जो बातें कही हैं उन पर भी विचार किया जाये।

श्री एन० श्रीकांतन नायर (क्विलोन व मावेलिक्करा) : मैं इस विधेयक का सिद्धान्ततः समर्थन करता हूं । परन्तु यह विधेयक असमता को दूर करने का कोई रचनात्मक उपाय नहीं है क्योंकि इसमें जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये कुछ नहीं है । यदि यह केवल लोगों का स्तर गिराने की कार्यवाही है तो यह नकारात्मक उपाय है ।

श्री गाडगिल कहते हैं कि यह निजी सम्पत्ति पर आघात है, पर यह केवल प्रचार मात्र है । इंगलिस्तान में १८९४ में संपत्ति शुल्क लागू हुआ था, वहां तो फिर अब निजी सम्पत्ति होनी ही नहीं चाहिये । इसे समाजवादी उपाय बताने का अर्थ यह है कि अमरीका १९१६ से ही समाजवादी राज्य है और लंका १९१९ से और हमारा पड़ौसी पाकिस्तान भी गत तीन वर्षों से समाजवाद राज्य है । इंगलिस्तान तथा अमरीका में तो करोड़पति बढ़े ही हैं । अतः इसे समाजवादी उपाय कहना गलत है । समाजवाद तो निजी सम्पत्ति को मूलतः समाप्त करने से ही आ सकता है, और उत्पादन तथा वितरण पर गैर-सरकारी स्वामित्व को सर्वथा समाप्त करने से ही आ सकता है । संपत्ति-शुल्क तो पूंजीवादी उपाय है । इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था अधिक सशक्त हो गई है क्योंकि राजा महाराजा भी अब पूंजीवादी बन गये हैं, अतः यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा सका है । केन्द्र राज्यों से अधिकाधिक शक्ति लेता जा रहा है और राज्य उत्तरोत्तर नगरपालिकाओं के समान बनते जाते हैं । मेरे राज्य त्रावनकोर-कोचीन में इस विधेयक पर बहुत संदेह किया जाता है, क्योंकि इससे आस्तियों का एक अंश केन्द्र हड़प लेगा । अब मेरे योग्य साथी मोरे ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है अतः वहां इस पर अधिक आपत्ति नहीं होगी । परन्तु यह नितान्त आवश्यक है कि राज्यों की योजनाओं पर कोई अंकुश रहे । मुझे त्रावनकोर-कोचीन का तो भेद पता है, और मैं कह सकता हूं कि वहां रुपया बरबाद ही नहीं होता, भ्रष्टाचार में भी बह जाता है । थोड़े दिन पहले ही वहां भ्रष्टाचार के कारण मंत्रियों में अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था, परन्तु वह थोड़े से मतों से गिर गया (बाधा) ।

इस विधेयक के खंड १८ (२) में जो दंड रखा गया है, वह पर्याप्त नहीं है । यदि सरकार ठीक ठीक जानकारी चाहती है तो कहीं अधिक कठोर दंड रखना चाहिये ।

दो वर्ष के उपबन्ध के विषय में मैं विद्वान उपाध्यक्ष महोदय से पूर्णतः सहमत हूं । इसको बढ़ाना चाहिये, या समय-सीमा को हटा ही देना चाहिये, अन्यथा लोग अपनी संपत्ति पुत्रों, सम्बन्धियों आदि को दे देंगे और शुल्क से बच जायेंगे । यह तर्क ठीक नहीं है कि १८९४ और १९१० के ब्रिटिश अधिनियमों में भी ऐसा ही उपबन्ध है । मेरे ख्याल में उसमें संशोधन हो गया है और अब कालावधि पांच वर्ष की है । मेरा सुझाव है कि यदि केवल १००० रुपये से कम की राशि है तो उस पर कर न लगे परन्तु राशि १००० रुपये से अधिक हो तो समय-सीमा की परवाह न करते हुए उस पर कर लगा देना चाहिये ।

मेरे विचार में शुल्क की दरें प्रतिवर्ष बदलने से अनिश्चितता रहेगी, अतः उन्हें निश्चित कर देना चाहिये और उच्च स्तर पर ही निश्चित करना चाहिये ।

खंड ३२ में विमुक्तियों, कमियों और अन्य रूपभेदों के जो उपबन्ध हैं वे अस्पष्ट तथा हानिप्रद हैं । इससे मंत्रियों के

[श्री एन० श्रीकांतन नायर]

पास बहुत से लोग पहुंचेंगे, और इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। लोग कहेंगे कि सरकार इस से अपने दल को लाभ पहुंचा रही है। अतः निश्चित शर्तें विहित कर देना श्रेयस्कर है।

खंड ३५, ३९, ४०, ४१, ४६, ५२, ५६, ६१ (४), ६३ और ६४ में नियंत्रक को सर्वेसर्वा के समान अधिकार प्राप्त हैं। इससे सर्वेसर्वा तथा भ्रष्टाचार होगा। मंडली को भी खंड ६८ (३) में निरंकुश अधिकार दिये गये हैं कि वह किसी सम्पत्ति को मनमाने रूप में छोड़ सकती है। हमें इस विषय में भी शर्तें विहित कर देनी चाहिये।

मैं बीमे को विमुक्त करने के पक्ष में नहीं हूं। दस रुपये देकर एक लाख रुपये पाने का हक्क क्यों हो ?

अन्ततः इस शुल्क से प्राप्त राशि को किसी सामाजिक सुरक्षा की योजना के लिये अलग अलग रख देना चाहिये। इससे जनता में इसके प्रति जोश पैदा हो सकेगा।

प्रोफेसर अग्रवाल (वर्धा) : मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक का स्वागत करता हूं। यह कोई क्रान्तिकारी उपाय नहीं है। सम्पत्ति-शुल्क बहुत प्राचीन चीज है। प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दी ईसापूर्व में ये शुल्क रोमन साम्राज्य में लागू थे। भारत में भी १९वीं शताब्दी में इस पर चर्चा चली थी। यूरोप में इटली के कई नगरों में ये शुल्क लागू थे और १७वीं शताब्दी तक समूचे यूरोप में प्रचलित हो गये थे। अतः यह क्रान्तिकारी वस्तु नहीं है।

यह समझना गलत है कि इससे देश में आर्थिक समता हो जायेगी। परन्तु भारत की कर-व्यवस्था में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद अन्य भी कदम उठाने होंगे। अधिक महत्वपूर्ण सुधार करने होंगे, तभी आर्थिक समता स्थापित हो सकती है। बेकारी, निर्धनता, अस्वस्थता आदि को दूर करने के लिये तो हमें ढांचे में ही आमूल चूल परिवर्तन करने होंगे।

धनी वर्ग को तथा महाराजाओं को इस पर अधिक सशंकित नहीं होना चाहिये। इसको स्थगित करने के लिये कहना समय की गति के अनुरूप नहीं है। महात्मा गांधी ने स्पष्ट कहा है कि यदि हम शांतिपूर्ण उपायों से आर्थिक समता स्थापित करना चाहते हैं तो धनीवर्ग को समय के लक्षण समझने चाहिये। उन्होंने स्वतंत्रता-प्राप्ति से पूर्व एक बार कहा था:

> "अहिंसात्मक शासन-व्यवस्था तब तक स्पष्टतः असंभव है जब तक कि धनियों और करोड़ों बुभुक्षितों के बीच एक चौड़ी खाई विद्यमान है। यदि धन का स्वेच्छा से परित्याग नहीं किया जायेगा तो हिंसात्मक तथा रक्तपूर्ण क्रांति होकर ही रहेगी।"

यदि धनी लोग ऐसे साधारण उपाय का भी, जो क्रांतिकारी नहीं है, विरोध करेंगे तो शांतिपूर्ण तथा रक्तहीन क्रांति का वातावरण नहीं बन पायेगा।

कांग्रेस ने नरेशों को मिटा दिया है और जमीदारी भी समाप्त कर दी है। अब यदि भूमि सम्बन्धी सुधार करते चले जायें तो अन्य वर्गों को कैसे अछूता छोड़ा जा सकता है—अर्थात् करोड़पतियों, व्यापारियों, औद्योगिकों आदि को कैसे अछूता छोड़ा जा सकता है ? यदि हमें कल्याणकारी राज्य बनाना है तो सभी वर्गों को लेना होगा।

हमें विधेयक में यह बात रख देनी चाहिये कि इस का प्रभाव एक लाख रुपये

से कम पर नहीं होगा, या माननीय वित्त मंत्री को सदन में ऐसी घोषणा कर देनी चाहिये। इस से हानिकारक विरोधी प्रचार बंद हो जायेगा। और शंकाओं का सामाधान हो जायेगा।

कई लोग इस विधेयक के प्रभाव से बचने के लिये विधि-रूप विभाजन करने लगे हैं। संयुक्त हिन्दू परिवार प्रथा बहुत अच्छी है और उससे बेकारी आदि की सामाजिक सुरक्षा रहती है। इस विधेयक की किसी त्रुटि के कारण वह व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिये। विभाजन द्वारा कर से बचने की संभावना को मिटा देना चाहिये।

मरते समय लोग प्रायःदान किया करते हैं। यदि दान शैक्षणिक अथवा अन्य विकास कार्य के लिय हो तो उसे अभिज्ञात करना चाहिये अन्यथा नहीं। पूर्तों के विनियमन के लिये एक विधेयक बनना चाहिये।

सम्पत्ति शुल्क अधिनियम के बाद देश में मितव्ययिता के लिये आंदोलन होना चाहिये जिससे जनता को विश्वास हो जाये कि रुपया व्यर्थ नहीं खोया जा रहा है। लोक लेखा समिति का सदस्य होने के नाते मैं कहूंगा कि यहां सरकारी खर्च पर संसद् का वैसा प्रभावी नियंत्रण नहीं है जैसा ब्रिटेन आदि देशों में है।

मद्य निषेध को इस मामले में नहीं लाना चाहिये। उससे तो करोड़ों घर सुधर रहे हैं। वह महत्वपूर्ण समाज सुधार है।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : इस विधेयक का समर्थन करने में मुझे प्रसन्नता है। परन्तु मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक सुझाव तो यह है, जो कई सदस्य पहले ही दे चुके हैं, कि न्यूनतम विमुक्ति-सीमा विधेयक में ही रख दी जानी चाहिये। अनिश्चितता के कारण लोग अभी से अपना धन पुत्रों को देने का विचार करने लगे हैं। फलतः वे पुत्रों की अथवा पुत्रवधुओं की दया पर आश्रित हो जायेंगे। संसद् का उद्देश्य संयुक्त हिन्दू परिवार प्रथा को भंग करने का नहीं है परन्तु इस प्रकार के अनिश्चित विधेयकों का यही परिणाम हो जाता है।

प्रवर समिति के विचारार्थ एक और उलझन भी है जिसकी डा० मुखर्जी ने कुछ चर्चा की है। मान लीजिये चार भाई संयुक्त परिवार के सदस्य हैं, उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें उसके अंश पर, जो उन्हें मिल जायेगा, शुल्क देना पड़ेगा। बाद में यदि एक भाई और उत्पन्न हो जाता है तो यह अर्थ हुआ कि उन्होंने ऐसी सम्पत्ति पर कर दे दिया है जो उनके भाग में पूर्णतः नहीं आती।

मृत्यु पूर्व दान के विषय में हमने दो वर्ष की अवधि रखी है। कई एक वर्ष चाहते हैं। इतनी भी क्यों रखी जाये? हमें तो केवल ईमानदारी के सौदों को मनाना चाहिये छः मास पर्याप्त हैं। किसी को क्या पता लगता है कि वह दो वर्ष में मरेगा या एक वर्ष में, या अगले ही दिन? इसके अतिरिक्त दो वर्ष की कालावधि उन दानों पर लागू नहीं होनी चाहिये जो पुत्रियों या बहिनों को विवाह के लिये दिये जायेंगे। ऐसे मामलों के लिये अंग्रेजी विधि में भी अपवाद है, हमें भी ऐसा अपवाद रखना चाहिये।

हमें कृषि सम्पत्ति के विषय में कुछ रियायत करनी चाहिये। ब्रिटिश वित्त अधिनियम, १९२६ में कृषि सम्पत्ति पर कर की दरें थोड़ी ही रहने दी गई थी परन्तु अन्य सम्पत्ति पर बढ़ा दी गई थी व्यापार में मनुष्य सट्टे से दुगना तिगुना कर लेता है। भूमि के विषय में यह बात नहीं है।

[श्री रघुरामय्या]

बीमे के विषय में यह बात गलत है कि दस रुपये देकर एक लाख मिल जाता है। ऐसा होगा तो सभी बीमा समवाय दिवालिये हो जायेंगे। प्रायः हमें अधिक ही धन देना पड़ता है। बीमे को प्रोत्साहन देने के लिये कोई रियायत देनी ही चाहिये अन्यथा बीमा व्यवसाय पर इसका घातक प्रभाव होगा।

प्रवर समिति को इस विषय पर भी विचार करना चाहिये कि जिस सीमा तक सम्पत्ति शुल्क लागू हो उस सीमा तक उत्तराधिकार-शुल्क समाप्त कर दिया जाना चाहिये, अन्यथा यह दोहरा करारोपण हो जायेगा।

मद्य-निषेध सफल नहीं हुआ है अतः उसे समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये।

इसके पश्चात् सदन की बैठक सोमवार १० नवम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई।